गोपनीय
अतिमहत्वपूर्ण/ई-मेल

प्रेषक,

गिरीश चन्द्र मिश्र,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. आवास आयुक्त,
उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद,
लखनऊ।

2. उपाध्यक्ष,
समस्त विकास प्राधिकरण,
उत्तर प्रदेश।

आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग-3   लखनऊः दिनांकः 03 दिसम्बर 2025

विषयः- **उ0प्र0 वैश्विक क्षमता केन्द्र (जी.सी.सी.) नीति-2024 के क्रियान्वयन संबंधी प्रस्तावित नियमावली के संबंध में।**

महोदय,

कृपया उ0प्र0 वैश्विक क्षमता केन्द्र (जी.सी.सी.) नीति-2024 के क्रियान्वयन संबंधी प्रस्तावित नियमावली के संबंध में औद्योगिक विकास विभाग द्वारा तैयार की गयी संलग्न टिप्पणी का अवलोकन करने का कष्ट करें। उक्त नियमावली के उक्त प्रस्तर-3.1 में प्रस्तावित फ्रंट-एण्ड लैण्ड सब्सिडी के अन्तर्गत पात्र स्तर-1 एवं उन्नत जी.सी.सी. इकाईयों को राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरणों, विकास प्राधिकरणों, शहरी स्थानीय निकायों अथवा किसी अन्य सरकारी एजेन्सी द्वारा प्रदत्त भूमि पर फ्रंट-एण्ड लैण्ड सब्सिडी प्रदान किये जाने की व्यवस्था की गयी है।

2- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया उ0प्र0 वैश्विक क्षमता केन्द्र (जी.सी.सी.) नीति-2024 के क्रियान्वयन संबंधी प्रस्तावित नियमावली के प्रस्तर-3.1 'फ्रंट-एंड लैंड सब्सिडी' के संबंध में परीक्षणोपरान्त अभिमत शासन को आज ही उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

संलग्नकः यथोक्त।

भवदीय,

Digitally signed by
GIRISH CHANDRA MISHRA
Date: 03-12-2025
(गिरीश चन्द्र मिश्र)
संयुक्त सचिव

प्रतिलिपिः-अनु सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग-2, उ0प्र0 शासन को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

आज्ञा से,
गिरीश चन्द्र मिश्र
संयुक्त सचिव

<u>गोपनीय</u>

मद संख्या.................

<u>मा0 मंत्रि-परिषद हेतु टिप्पणी</u>

विषय- उत्तर प्रदेश वैश्विक क्षमता केंद्र (जीसीसी) नीति-2024 के क्रियान्वयन संबंधी नियमावली-2025 के संबंध में।

आधुनिक वैश्विक जगत में प्रौद्योगिकी मानव सभ्यता का एक अत्यन्त महत्वपूर्ण आयाम है। आधुनिक मानव सभ्यता के विकास में प्रौद्योगिकी की अत्यन्त महत्वपूर्ण भूमिका है। कम्प्यूटर का उदय एवं विकास आधुनिक प्रौद्योगिकी की महत्वपूर्ण देन है। कम्प्यूटर प्रौद्योगिकी एवं तकनीक, कम्प्यूटर विज्ञान, सूचना प्रौद्योगिकी और इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे विभिन्न क्षेत्रों के ज्ञान एवं कौशल को जोड़ती है, जिसका उद्देश्य समस्याओं को हल करने, सिस्टम डिजाइन करने और कम्प्यूटर के अनुप्रयोगों को बढ़ाने के लिए हार्डवेयर एवं साफ्टवेयर का प्रयोग करना है। कम्प्यूटर प्रौद्योगिकी विभिन्न संबंधित तकनीकों का एक समुच्चय है, जो मानव जीवन की तमाम समस्याओं का द्रुत गति से समाधान करती है। तीव्र संगणन क्षमता, डेटा प्रोसेसिंग, सूचना संचार, सूचना भण्डारण आदि विशिष्टताएं मानव जीवन को सरल बनाती है।

2- इंटरनेट के आविष्कार ने सम्पूर्ण जगत के संचार के माध्यमों को आपस में जोड़ दिया है, जिससे सूचनाओं का आदान-प्रदान वैश्विक स्तर पर अत्यन्त तीव्रगति से हो रहा है। ऐसी स्थिति में सूचना के आदान-प्रदान हेतु श्रम परिवहन आवश्यक नहीं रह गया है। आवश्यकतानुसार (On Demand) विश्व के किसी दूसरे देश के कम्प्यूटर तकनीकी विशेषज्ञों का परामर्श प्राप्त करने के लिए आवश्यक भुगतान कर उनकी सेवाएं प्राप्त की जा सकती है। ऐसे परामर्श/सेवाएं प्रदान करने के सांगठनिक/सांस्थानिक रूप को वैश्विक क्षमता केन्द्र (Global Capacity Center) की संज्ञा दी जाती है।

3- वैश्विक क्षमता केन्द्र निवेश एवं रोजगार का उदीयमान क्षेत्र है।अनुमान है कि वर्ष 2023 तक इसका घरेलू बाजार लगभग 110 बिलियन डॉलर तक पहुंच जाएगा। अतः इस क्षेत्र में निवेश को आकर्षित किये जाने हेतु औद्योगिक विकास विभाग की अधिसूचना संख्या-38/2025संख्या-38/2025/935/77-6-2025/01(जीसीसी)/2024, दिनांक 07 मई, 2025 द्वारा 'उत्तर प्रदेश वैश्विक क्षमता केन्द्र नीति-2024' प्रख्यापित की गई है। उक्त नीति को धरातल पर क्रियान्वित किये जाने हेतु 'उत्तर प्रदेश उत्तर प्रदेश वैश्विक क्षमता केन्द्र नीति-2024' के क्रियान्वंयन संबंधित नियमावली निम्नवत तैयार की गई है:-

उत्तर प्रदेश वैश्विक क्षमता केंद्र (जीसीसी) नीति-2024 के क्रियान्वयन हेतु नियमवली-2025

File No. 77-6099/83/2024-औद्योगिक विकास अनुभाग-6-Infrastructure and ID Department (Computer No. 1859042)

1.0 <u>शीर्षक</u>

1.1 इन नियमों को '**उत्तर प्रदेश वैश्विक क्षमता केंद्र (जीसीसी) नीति, 2024 के क्रियान्वयन हेतु नियम**' कहा जाएगा।

1.2 ये नियम उत्तर प्रदेश वैश्विक क्षमता केंद्र (GCC) नीति, 2024 के प्रख्यापन तिथि से प्रभावी होंगे तथा राज्य सरकार द्वारा इसमें संशोधन अथवा समाप्ति तक प्रभावी रहेंगे।

2.0 परिभाषाएं

2.1 **वैश्विक क्षमता केंद्र (GCC)**: किसी भारतीय/विदेशी कंपनी द्वारा स्थापित एक कैप्टिव इकाई, जिसका उद्देश्य सूचना प्रौद्योगिकी, अनुसंधान एवं विकास, वित्त, मानव संसाधन, डिज़ाइन, इंजीनियरिंग, एनालिटिक्स तथा नॉलेज सर्विस जैसे रणनीतिक कार्यों का निष्पादन करना है। इन कार्यों की संस्तुति तकनीकी अध्ययन समूह (TSG) द्वारा की जाएगी।

2.2 **तकनीकी अध्ययन समूह (Technical Study Group – TSG)**: तकनीकी अध्ययन समूह के अध्यक्ष अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी, इन्वेस्ट यूपी होंगे तथा इसके सदस्य सूचना प्रौद्योगिकी एवं इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग, नैसकॉम (NASSCOM), सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स ऑफ इंडिया (STPI), वित्त नियंत्रक (इन्वेस्ट यूपी), महाप्रबंधक (निवेश प्रोत्साहन) एवं महाप्रबंधक (समन्वय) सदस्य-सचिव के रूप में सम्मिलित होंगें।

<u>तकनीकी अध्ययन समूह (TSG) के कार्य एवं दायित्व</u>

(क) **समूह के माध्यम से प्राप्त इकाई के आवेदन** का प्रारंभिक परीक्षण किया जाएगा, जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि वह नीतिगत रूपरेखा के अनुरूप है। उक्त परीक्षण की पूर्णता के उपरांत, टीएसजी की संस्तुति के आधार पर, मुख्य कार्यपालक अधिकारी, इन्वेस्ट यूपी द्वारा आवेदक को 30 दिवस की अवधि के भीतर स्वीकृति (पावती) प्रमाण-पत्र (Acknowledgement Certificate) निर्गत किया जाएगा।

(ख) इन्वेस्ट यूपी (नोडल एजेंसी) के अंतर्गत स्थापित नीति क्रियान्वयन इकाई (Policy Implementation Unit - PIU) द्वारा, तकनीकी अध्ययन समूह (TSG) की संस्तुति के आधार पर, नीति के कार्यक्षेत्र में रहते हुए आवेदन का बहुआयामी एवं विस्तृत मूल्यांकन किया जाएगा, जिसमें इकाई की पात्रता का सत्यापन भी सम्मिलित होगा।

(ग) नीति क्रियान्वयन इकाई (PIU) की संरचना, शासनादेश संख्या 21/2023/1307/77-6-23-2(M)/2022 दिनांक 14.04.2023 के प्रस्तर 5.1.1 में विहित प्राविधानों के अनुसार होगी।

2.3 **पात्र जीसीसी इकाई:** ऐसी इकाई जो नीति के प्रस्तर 4.1.7 के अंतर्गत निर्धारित न्यूनतम निवेश/रोजगार पात्रता मानदंडों को पूर्ण करती हो, उसे पात्र वैश्विक क्षमता केंद्र (GCC) इकाई माना जाएगा। इसमें तृतीय-पक्ष बीपीओ (BPOs), केपीओ (KPOs) अथवा आउटसोर्सिंग कंपनियाँ, जो एक से अधिक ग्राहकों को सेवाएँ प्रदान

File No. 77-6099/83/2024-औद्योगिक विकास अनुभाग-6-Infrastructure and ID Department (Computer No. 1859042)
Generated from eOffice ... on 14/11/2025 ...

करती हैं।

2.4 **प्रभावी तिथि**: 'प्रभावी तिथि' से अभिप्राय उस तिथि से है जिस दिन से यह नीति लागू होती है, अर्थात् 07.05.2025, जो उत्तर प्रदेश वैश्विक क्षमता केंद्र (GCC) नीति, 2024 के अधिसूचना की तिथि है।

2.5 **पात्र पूंजी निवेश (Eligible Capital Investment – ECI)**: पात्र पूंजी निवेश से अभिप्राय है वह पूंजी निवेश जो पात्र इकाई द्वारा नीति की प्रभावी तिथि के उपरांत उसके पात्र निवेश अवधि में किया गया हो। यदि किसी इकाई ने नीति की प्रभावी तिथि से पूर्व पूंजी निवेश प्रारंभ कर दिया है, तो ऐसे पूंजी निवेश का न्यूनतम 80% निवेश नीति की प्रभावी तिथि के उपरांत होना आवश्यक होगा, तभी उसे पात्र पूंजी निवेश माना जाएगा। यद्यपि परियोजना श्रेणी निर्धारण हेतु ऐसे पूंजी निवेश का 100% निवेश माना जाएगा।

2.6 **वाणिज्यिक संचालन तिथि (COD)**: वाणिज्यिक संचालन तिथि से तात्पर्य उस तिथि से है जिस दिन से इकाई अपना वाणिज्यिक संचालन अथवा सेवा प्रदायन प्रारंभ करती है। वाणिज्यिक संचालन तिथि के संबंध में, इकाई के अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता द्वारा ₹100 मूल्य के स्टाम्प पेपर पर शपथ पत्र मुख्य कार्यपालक अधिकारी, इन्वेस्ट यूपी के समक्ष प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य होगा।

2.7 **कर्मचारी**: "कर्मचारी" से अभिप्राय उन व्यक्तियों से है जो संबंधित इकाई के पेरोल पर नियोजित हों। इस परिभाषा में कंपनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के सभी सदस्य तथा परिभाषित सभी प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक (Key Managerial Personnel – KMP) सम्मिलित नहीं होंगे।

2.8 **विस्तार**: "विस्तार" से तात्पर्य उस स्थिति से है जब उत्तर प्रदेश में पूर्व से संचालित इकाई अपने वर्तमान कुल परिसंपत्ति मूल्य (ग्रोस ब्लॉक) में न्यूनतम 25% की वृद्धि नवीन पूंजी निवेश के माध्यम से करती है, जो कि विद्यमान/सन्निहित परिसर में हो।

अथवा

यदि कोई इकाई अपने पेरोल पर नियोजित मैनपावर (जन-शक्ति)/कर्मचारियों की संख्या में न्यूनतम 25% की वृद्धि अथवा 100 कर्मचारियों की वृद्धि (जो भी अधिक हो) रिकॉर्ड करती है, तो ऐसी इकाई को भी "विस्तार" हेतु पात्र माना जाएगा।

2.9 **पूंजी निवेश**: "पूंजी निवेश" से तात्पर्य पात्र इकाई द्वारा वहन किए जाने वाली लागत से है जिन्हें इस नीति के अंतर्गत प्रोत्साहन प्राप्ति के सम्बन्ध में इकाई के श्रेणी निर्धारण हेतु स्वीकार्य माना जाएगा। इसमें भूमि, भवन तथा निर्माण, संयंत्र एवं मशीनरी (जिसमें कंप्यूटर, अनुसंधान एवं विकास उपकरण, नेटवर्किंग हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर तथा संचालन से प्रत्यक्ष रूप से संबंधित स्थायी परिसंपत्तियां सम्मिलित हैं) एवं उत्तर प्रदेश औद्योगिक निवेश एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति-2022 के प्रस्तर 12.1.6 में परिभाषित अवस्थापना उपयोगिताओं पर किया गया व्यय सम्मिलित होगा।

इसके अतिरिक्त, इकाइयों द्वारा विद्यमान फिक्स्चर के नवीनीकरण (रेट्रोफिटिंग) पर किए गए व्यय का 50% भी सम्मिलित किया जाएगा, यदि उस मूल्य का इकाइयों

File No. 77-6099/83/2024-औद्योगिक विकास अनुभाग-6-Infrastructure and ID Department (Computer No. 1859042)
Generated from eOffice by [illegible]

द्वारा पूँजीकरण किया जाता है। यदि पात्र इकाई प्रस्तावित परियोजना हेतु फ्रंट एंड लैंड सब्सिडी प्राप्त कर रही है, तो भूमि लागत को पूंजी निवेश में सम्मिलित नहीं किया जाएगा। इसके अतिरिक्त, यदि परियोजना किराए के परिसर अथवा को-वर्किंग स्पेस से संचालित की जा रही हो, तो भूमि एवं भवन लागत को भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

3.0 वित्तीय प्रोत्साहन

3.1 फ्रंट-एंड लैंड सब्सिडी (Front End Land Subsidy): पात्र स्तर-1 एवं उन्नत जीसीसी इकाइयों को राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरणों, विकास प्राधिकरणों, शहरी स्थानीय निकायों अथवा किसी अन्य सरकारी एजेंसी द्वारा प्रदत्त भूमि पर फ्रंट-एंड लैंड सब्सिडी प्रदान की जाएगी।

(i) गौतमबुद्ध नगर एवं गाजियाबाद ज़नपदों में 30%।

(ii)पश्चिमांचल (गौतम बुद्ध नगर एवं गाजियाबाद को छोड़कर) तथा मध्यांचल क्षेत्र में 40%।

(iii) पूर्वांचल एवं बुंदेलखंड क्षेत्र में 50% की दर से भूमि सब्सिडी प्रदान की जाएगी।

राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण अथवा किसी अन्य सरकारी संस्था द्वारा पात्र इकाई को रियायत के रूप में प्रदान की गई भूमि, पात्र निवेश अवधि तक अथवा वाणिज्यिक संचालन प्रारंभ होने तक (जो भी पहले हो), संबंधित शासकीय निकाय के पक्ष में मोर्टगेज्ड (mortgaged) रहेगी। निर्धारित समयावधि में परियोजना पूर्ण न होने की स्थिति में, संबंधित शासकीय निकाय द्वारा प्रदान की गई भूमि सब्सिडी की राशि वार्षिक 12% ब्याज दर से वसूल की जा सकती है।

यदि परियोजना किराये के परिसर/को-वर्किंग स्पेस में संचालित की जा रही है तो इस प्रकार की भूमि सब्सिडी उन परियोजनाओं पर अनुमन्य नहीं होगी। सब्सिडी राशि की प्रतिपूर्ति का व्यय औद्योगिक विकास विभाग द्वारा वहन किया जाएगा।

3.2 स्टाम्प ड्यूटी छूट/प्रतिपूर्ति

किसी भी पात्र जीसीसी इकाई को प्रस्तावित परियोजना हेतु भूमि/कार्यालय परिसर/भवन के क्रय अथवा पट्टे (लीज) पर 100% स्टाम्प ड्यूटी छूट/प्रतिपूर्ति प्रदान की जाएगी। यह छूट इकाई द्वारा छूट की प्राप्त राशि के समतुल्य बैंक गारंटी पर प्रस्तुत की जाएगी। यह छूट, प्राप्त छूट की समतुल्य राशि की बैंक गारंटी प्रस्तुत करने पर प्रदान की जाएगी, जो पात्र निवेश अवधि में वाणिज्यिक संचालन प्रारंभ होने पर इकाई को रिफंड कर दी जाएगी। दूसरी ओर, प्रतिपूर्ति वाणिज्यिक संचालन प्रारंभ होने के उपरांत प्रदान की जाएगी।

3.3 पूंजीगत सब्सिडी

(i) स्तर-1 श्रेणी की इकाइयों को उनकी सत्यापित पात्र पूंजी निवेश (ECI) के 25% पूंजीगत सब्सिडी की पात्र होगी जो अधिकतम ₹10 करोड़ प्रतिवर्ष तक होगी।

(ii) उन्नत श्रेणी की इकाइयाँ अपनी सत्यापित पात्र पूँजी निवेश (ECI) के 25% पूंजीगत सब्सिडी की हकदार होंगी, जो अधिकतम ₹25 करोड़ प्रति वर्ष

File No. 77-6099/83/2024-औद्योगिक विकास अनुभाग-6-Infrastructure and ID Department (Computer No. 1859042)

तक होगी।

(iii) सब्सिडी राशि का भुगतान वाणिज्यिक संचालन तिथि (COD) के उपरांत 7 समान वार्षिक किश्तों में प्रदान की जाएगी, बशर्ते कि पात्र जीसीसी इकाई निरंतर संचालित रहे एवं निर्धारित रोजगार स्तर को बनाए रखे।

(iv) भूमि सब्सिडी, स्टाम्प ड्यूटी, रैंटल शुल्क एवं पट्टा शुल्क पूंजी; निवेश में सम्मिलित नहीं होंगे।

3.4 **ब्याज सब्सिडी**: किसी भी पात्र जीसीसी इकाई द्वारा अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों/वित्तीय संस्थानों से निर्माण, संयंत्र एवं मशीनरी के क्रय तथा परियोजना स्थल पर अन्य अवस्थापना सुविधाओं की स्थापना हेतु प्राप्त टर्म लोन पर 5% की दर से अथवा वास्तविक रूप से भुगतान की गई ब्याज राशि- जो भी न्यूनतम हो- के समान ब्याज सब्सिडी प्रदान की जाएगी। यह सब्सिडी वाणिज्यिक संचालन प्रारंभ होने की तिथि से अधिकतम पाँच वर्षों की अवधि तक, अधिकतम ₹1 करोड़/इकाई/वर्ष तक प्रदान की जाएगी।

3.5 **संचालन व्यय (ओपेक्स) सब्सिडी**: वाणिज्यिक संचालन प्रारंभ होने की तिथि से स्तर-1 इकाइयों को 5 वर्षों की अवधि हेतु, संचालन व्यय पर 20% की दर से अधिकतम ₹40 करोड़ प्रति वर्ष की सीमा तक सब्सिडी प्रदान की जाएगी तथा यह सब्सिडी उन्नत इकाइयों को अधिकतम ₹80 करोड़ प्रति वर्ष की सीमा तक प्रदान की जाएगी। संचालन व्यय मदों में पट्टा (लीज) किराया, बैंडविड्थ व्यय, डाटा सेंटर/क्लाउड सेवा लागत तथा विद्युत शुल्क सम्मिलित होंगे।

(i) यहां लीज रैंटल में सभी लीज्ड स्थल (प्लग-एंड-प्ले सुविधाओं/को-वर्किंग सुविधाओं सहित) को सम्मिलित होंगे, जिनका अधिकतम मासिक किराया ₹50 प्रतिवर्ग फुट कार्पेट एरिया होगा। यहां पट्टा किराये में केवल परिसर हेतु भुगतान किया गया वास्तविक किराया ही सम्मिलित होगा। अनुरक्षण शुल्क, सहायक शुल्क (Ancillary Fees) अथवा विकासकर्ता अथवा स्वामी द्वारा लगाए गए किसी भी अतिरिक्त शुल्क को पट्टा किराये में सम्मिलित नहीं माना जाएगा। इसके अतिरिक्त, पट्टा किराया व्यय की प्रतिपूर्ति वार्षिक आधार पर की जाएगी।

(ii) विद्युत शुल्क का अर्थ विद्युत उपयोगिता बिलों पर हुए व्यय से है। राज्य सरकार पात्र इकाइयों को औद्योगिक दरों पर विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करने का प्रयास करेगी। इस संबंध में ऊर्जा विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा एक पृथक अधिसूचना निर्गत की जाएगी। विद्युत शुल्क में किसी भी प्रकार के डीजल जनरेटर (DG) कनेक्शन से संबंधित व्यय अथवा दावा स्पष्ट रूप से सम्मिलित नहीं किया जाएगा। इसके अतिरिक्त, साझा, पट्टे पर लिए गए अथवा विकासकर्ता-नियंत्रित परिसरों में संचालन करने वाले आवेदकों के सम्बन्ध में परियोजना हेतु समर्पित सब-मीटर की स्थापना सुनिश्चित करना अनिवार्य होगा। आवेदकों को अपने सब्सिडी दावे के साथ विकासकर्ता अथवा परिसर के स्वामी द्वारा विधिवत प्रमाणित परियोजना-विशिष्ट माहवार विद्युत खपत विवरण प्रस्तुत करना होगा।

File No. 77-6099/83/2024-औद्योगिक विकास अनुभाग-6-Infrastructure and ID Department (Computer No. 1859042)
Generated from eOffice by [illegible] on 14/11/2025 02:42 PM

(iii) इसी प्रकार, बैंडविड्थ व्यय केवल लाइसेंस प्राप्त इंटरनेट सेवा प्रदाताओं को किए गए भुगतान पर ही स्वीकार्य होगा।

(iv) डाटा सेंटर एवं/अथवा क्लाउड सेवाएं उत्तर प्रदेश में स्थित उन सेवा प्रदाताओं से प्राप्त की जाएंगी, जिनके पास उत्तर प्रदेश माल सेंटर एवं/अथवा सेवा कर अधिनियम के अंतर्गत वैध जीएसटीआईएन (GSTIN) हो, जिससे सेवाओं हेतु का चालान निर्गत किया गया हो।

3.6 **पेरोल सब्सिडी:** नीति के प्राविधानों के अनुसार, न्यूनतम एक वर्ष तक ऑन-रोल कर्मचारियों (अनुसंधान एवं विकास में संलग्न कार्मिकों सहित) को दिए गए वेतन एवं लाभों की लागत की प्रतिपूर्ति स्तर-1 एवं उन्नत जीसीसी (GCC) इकाइयों को निम्नानुसार देय होगी:

(i) गौतम बुद्ध नगर एवं गाजियाबाद जनपदों में स्थित इकाइयों में नियोजित कार्मिकों (नीति के अनुसार) के प्रकरण में, इकाई आगामी तीन वर्षों में निम्नलिखित सब्सिडी राशि हेतु पात्र होगी:

संचालन का वर्ष	अनुमन्य पेरोल सब्सिडी %	अधिकतम सीमा
प्रथम	35 %	कार्मिक वेतन का 35%, कुल वार्षिक वेतन का अधिकतम ₹5 लाख, जो भी कम हो।
द्वितीय	30 %	कार्मिक वेतन का 30%, कुल वार्षिक वेतन का अधिकतम ₹4 लाख, जो भी कम हो।
तृतीय	25%	कार्मिक वेतन का 25%, कुल वार्षिक वेतन का ₹3 लाख, जो भी कम हो।

यह सब्सिडी तीन वर्ष की अवधि तक स्तर-1 इकाइयों में अधिकतम ₹10 करोड़ प्रति वर्ष एवं उन्नत इकाइयों में अधिकतम ₹20 करोड़ तक अनुमन्य होगी। सब्सिडी की गणना के सम्बन्ध में, इकाई द्वारा एक वित्तीय वर्ष में कार्मिकों हेतु निरंतर रोजगार के आधार पर विचार किया जाएगा। 12 माह से कम अवधि हेतु कार्यरत् कर्मचारियों के वेतन सम्बन्धी व्यय इसमें सम्मिलित नहीं होंगे।

ii. गौतम बुद्ध नगर एवं गाजियाबाद जनपदों को छोड़कर अन्य जनपदों में स्थित इकाइयों में नियोजित कार्मिकों (नीति के अनुसार) के प्रकरण में, इकाई आगामी 4 वर्षों की अवधि में निम्नलिखित सब्सिडी राशि हेतु पात्र होगी:

संचालन का वर्ष	अनुमन्य पेरोल सब्सिडी %	अधिकतम सीमा
प्रथम	50%	कार्मिक वेतन का 50%, कुल वार्षिक वेतन का अधिकतम ₹7 लाख, जो भी कम हो।
द्वितीय	40%	कार्मिक वेतन का 40%, कुल वार्षिक वेतन का अधिकतम ₹6 लाख, जो भी कम हो।
तृतीय	30%	कार्मिक वेतन का 30%, कुल वार्षिक वेतन का अधिकतम ₹5 लाख, जो भी कम हो।

File No. 77-6099/83/2024-औद्योगिक विकास अनुभाग-6-Infrastructure and ID Department (Computer No. 1859042)

चतुर्थ	25 %	कार्मिक वेतन का 25%, कुल वार्षिक वेतन का अधिकतम ₹4 लाख, जो भी कम हो।

स्तर-1 इकाइयों को 4 वर्षों की अवधि हेतु अधिकतम ₹12 करोड़ प्रति वर्ष तक तथा उन्नत इकाइयों को अधिकतम ₹25 करोड़ प्रति वर्ष तक सब्सिडी प्रदान की जाएगी। सब्सिडी के प्रयोजन के सम्बन्ध में, इकाई द्वारा एक वित्तीय वर्ष में कार्मिकों हेतु बनाए गए निरंतर रोजगार के आधार पर विचार किया जाएगा। 12 माह से कम अवधि हेतु नियोजित कर्मचारियों के वेतन सम्बन्धी व्यय को इसमें सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

नोट:- पेरोल सब्सिडी हेतु, केवल जीसीसी इकाई में कार्यरत् वे कर्मचारी पात्र होंगें, जिनका नेट वेतन ₹1 लाख से अधिक है। (केवल मूल वेतन + महंगाई भत्ता, जो कि उद्योग के सर्वोत्तम पद्धतियों के अनुसार कंपनी द्वारा कर्मचारी के खाते में हस्तांतरित सकल वेतन का भाग है। इसमें मकान किराया भत्ता, वाहन भत्ता, चिकित्सा प्रतिपूर्ति इत्यादि अन्य मार्जिनल लाभ सम्मिलित नहीं हैं।)

3.7 **भर्ती सब्सिडी**: उत्तर प्रदेश में स्थित किसी भी पात्र जीसीसी इकाई को, उत्तर प्रदेश अधिवासी प्रत्येक नए कर्मचारी की नियुक्ति पर ₹20,000 की दर से सब्सिडी प्रदान की जाएगी, बशर्ते कि उक्त कर्मचारियों को न्यूनतम एक वर्ष की निरंतर सेवा हेतु नियोजित किया गया हो तथा न्यूनतम 30 कर्मचारी/वर्ष नए कर्मचारी उत्तर प्रदेश के अधिवासी हों। यह सब्सिडी किसी विशिष्ट इकाई हेतु अधिकतम ₹5 करोड़ तक सीमित होगी।

ऐसे नए कर्मचारियों (फ्रेशर) की भर्ती हेतु पात्रता केवल उन व्यक्तियों पर अनुमन्य होगी, जिनका प्रथम रोजगार अवसर है, जो उत्तर प्रदेश अधिवासी हों तथा जिन्होंने उत्तर प्रदेश में स्थित मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान से स्नातक/स्नातकोत्तर की डिग्री प्राप्त की हो। इस प्रोत्साहन श्रेणी के अंतर्गत लाभों को वाणिज्यिक संचालन प्रारंभ होने से 5 वर्ष की अवधि तक बढ़ाया जा सकता है।

3.8 **ईपीएफ प्रतिपूर्ति**: किसी भी पात्र इकाई को, नीति के अंतर्गत परिभाषित कार्मिकों के सम्बन्ध में नियोक्ता द्वारा कर्मचारी भविष्य निधि (EPF) में किए गए योगदान की 100% प्रतिपूर्ति प्रदान की जाएगी। यह प्रतिपूर्ति वाणिज्यिक संचालन प्रारंभ होने की तिथि से 3 वर्षों की अवधि तक ₹2,000/कर्मचारी/माह की दर से देय होगी तथा यह प्रतिपूर्ति अधिकतम ₹1 करोड़ प्रतिवर्ष की सीमा तक अनुमन्य होगी।

3.9 **पात्र जीसीसी इकाइयों हेतु प्रतिभा विकास एवं कौशल प्रोत्साहन**:

(क) पात्र इकाई द्वारा **इंटर्नशिप अवसरों** के सृजन हेतु किए गए व्यय का 50% **प्रतिपूर्ति** के रूप में प्रदान किया जाएगा, जिसकी अधिकतम सीमा ₹5,000/छात्र/माह होगी। यह सुविधा वाणिज्यिक संचालन प्रारंभ होने की तिथि से तीन वर्षों की अवधि तक उपलब्ध रहेगी तथा अधिकतम 50 इंटर्न/वर्ष तक सीमित होगी। इंटर्नशिप संबंधित पात्र इकाई के कार्यस्थल पर प्रदान की जानी अनिवार्य होगी तथा प्रत्येक इंटर्नशिप की न्यूनतम अवधि 2 माह होगी। इंटर्नशिप

File No. 77-6099/83/2024-औद्योगिक विकास अनुभाग-6-Infrastructure and ID Department (Computer No. 1859042)
Generated from eOffice by [illegible]

उत्तर प्रदेश में स्थित शैक्षणिक संस्थानों के विद्यार्थियों एवं उत्तर प्रदेश के जनजातीय विद्यार्थियों को ही प्रदान की जानी चाहिए।

(ख) **कौशल विकास सब्सिडी:** पात्र इकाई द्वारा आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रमों की लागत का 50% अथवा प्रत्येक कर्मचारी हेतु ₹50,000 की कोर्स फीस प्रतिपूर्ति (जो भी राशि न्यूनतम हो) की जाएगी। यह सब्सिडी 3 वर्षों तक, प्रति वर्ष अधिकतम 500 कर्मचारियों तक अनुमन्य होगी, जिसकी अधिकतम सीमा ₹50 लाख प्रति वर्ष होगी।

3.10 अनुसंधान एवं विकास तथा नवाचार हेतु प्रोत्साहन:

(क)इकाइयों को **उत्कृष्टता केंद्रों (CoE)** की स्थापना हेतु प्रोत्साहित किया जाएगा। ऐसे उत्कृष्टता केंद्रों की स्थापना हेतु प्रोत्साहन उत्तर प्रदेश औद्योगिक निवेश एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति, 2022 के प्रस्तर 12.6 के अंतर्गत प्रदान किया जाएगा। ये उत्कृष्टता केंद्र शैक्षणिक संस्थानों, उद्योग संघों अथवा अन्य सार्वजनिक संस्थानों के सहयोग से स्थापित किए जा सकते हैं।

(ख) स्टार्टअप आइडिएशन: पात्र इकाइयों को स्टार्टअप आइडिएशन, प्रूफ-ऑफ-कॉन्सेप्ट संचालन अथवा समस्या-समाधान गतिविधियों के आयोजन हेतु किए गए व्यय की 50% राशि की प्रतिपूर्ति को प्रदान की जाएगी, बशर्ते कि यह गतिविधियां वाणिज्यिक संचालन प्रारंभ होने की तिथि से 5 वर्षों की अवधि के भीतर संचालित की गयी हो। यह प्रतिपूर्ति अधिकतम ₹50 लाख प्रति वर्ष तक सीमित होगी।

(ग) बौद्धिक संपदा अधिकार (आईपीआर) सब्सिडी: पात्र इकाइयों को पेटेंट फाइलिंग हेतु वहन किए गए विधिक व्यय की 100% प्रतिपूर्ति प्रदान की जाएगी। प्रतिपूर्ति की अधिकतम सीमा घरेलू पेटेंट हेतु अधिकतम ₹5 लाख तथा अंतर्राष्ट्रीय पेटेंट हेतु अधिकतम ₹10 लाख तक सीमित होगी। इस प्रोत्साहन का दावा, प्रभावी नीति अवधि में अधिकतम दो बार तथा किसी भी पात्र जीसीसी इकाई द्वारा प्राप्त पेटेंट हेतु प्रति वर्ष अधिकतम एक बार किया जा सकता है।

3.11 केस-टू-केस प्रोत्साहन: नीति में परिभाषित स्तर-1 एवं उन्नत जीसीसी इकाइयां, निम्नलिखित अर्हता मानदंडों के अधीन, राज्य सरकार द्वारा आवश्यकतानुसार विचाराधीन आधार पर अनुकूलित प्रोत्साहन पैकेज प्राप्त करने हेतु पात्र होंगी।

(क) न्यूनतम 1,500 कर्मचारियों को रोजगार।

(ख) ₹250 करोड़ से अधिक का निवेश (भूमि लागत को छोड़कर), जिसमें पट्टे (लीज़) पर आधारित परियोजनाएं भी सम्मिलित हैं।

(ग) न्यूनतम ₹50 करोड़ की प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) आवश्यक होगा। एफडीआई के घटक निम्नलिखित होंगे: पूंजी निवेश (स्व-निर्मित भूमि एवं भवन के प्रकरण में) अथवा वार्षिक संचालन व्यय का वित्तपोषण (पट्टे (लीज़) पर आधारित संचालन के प्रकरण में)।

(घ) ऐसी कंपनी जो ग्लोबल फॉर्च्यून 500 (होल्डिंग/पेरेंट कंपनी) अथवा फॉर्च्यून इंडिया 500 (होल्डिंग/पेरेंट कंपनी) में सूचीबद्ध हो तथा जिसमें न्यूनतम 1,000 कर्मचारी हों।

File No. 77-6099/83/2024-औद्योगिक विकास अनुभाग-6-Infrastructure and ID Department (Computer No. 1859042)
Generated from eOffice by [illegible] on 14/11/2025 03:43 PM

4.0 गैर-वित्तीय सहायता

4.1 तकनीकी सहायता समूह:

उत्तर प्रदेश सरकार के सूचना प्रौद्योगिकी एवं इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग के अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव की अध्यक्षता में एक तकनीकी समर्थन समूह का गठन किया जाएगा। इस समूह में उद्योग, कॉर्पोरेट प्रकरण, जीसीसी उद्योग तथा नैसकॉम (NASSCOM), एसटीपीआई (STPI) जैसी संस्थाओं से सुदृढ सम्बन्ध रखने वाले उद्योग विशेषज्ञ सम्मिलित होंगे। इसके अतिरिक्त, इसमें वैश्विक नेता, जीसीसी के उच्च प्रदर्शनकर्ता CXOs, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार विशेषज्ञ एवं व्यावसायिक रणनीति तथा नवाचार के अग्रणी भी सम्मिलित होंगे। इन व्यक्तियों का नामांकन सूचना प्रौद्योगिकी एवं इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग द्वारा प्रत्येक वर्ष पृथक शासनादेश के माध्यम से किया जाएगा। यह समूह त्रैमासिक बैठकों के माध्यम से राज्य के उद्योगों की प्रगति एवं समस्याओं की समीक्षा करेगा। यह समूह जीसीसी के संचालन हेतु मार्गदर्शन एवं सहयोग प्रदान करेगा।

4.2 लिंकेज समर्थन:

1. **वाणिज्यिक स्थल**: राज्य सरकार रियल एस्टेट भागीदारों के साथ संभाग स्तर पर एक लाइव डिजिटल पोर्टल विकसित करेगी, जिससे जीसीसी इकाइयों को राज्य में उपलब्ध वाणिज्यिक स्थानों की खोज हेतु एक वन-स्टॉप प्लेटफ़ॉर्म होगा। इससे आदर्श स्थानों की खोज सरल हो जाएगी। प्रथम चरण में, यह पोर्टल मुख्यतः नोएडा, गाजियाबाद, लखनऊ, कानपुर एवं मेरठ जैसे नगरों पर केंद्रित होगा।
2. **तकनीकी सहभागिता**: राज्य सरकार जीसीसी इकाइयों को स्थानीय शैक्षणिक संस्थानों, उत्कृष्टता केंद्रों, स्टार्टअप्स एवं इनक्यूबेटर्स से जुड़ने में भी सहायता प्रदान करेगी। इससे कुशल व्यक्तियों की भर्ती को प्रोत्साहन, उद्योग-विशिष्ट कौशल कार्यक्रम विकसित करने, सहयोगात्मक अनुसंधान को प्रोत्साहित करने तथा खुले नवाचार को प्रोत्साहन प्राप्त होगा। इस लक्ष्य की प्राप्ति हेतु तकनीकी सहायता समूह उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग के साथ समन्वय करेगा।

4.3 विनियामक समर्थन:

1. राज्य में किसी भी पात्र जीसीसी इकाई; 25 केवीए से अधिक क्षमता वाले विद्युत जनरेटर को छोड़कर, उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम से मुक्त होगी।
2. पात्र जीसीसी इकाइयों को शिकायतों से उत्पन्न विशिष्ट निरीक्षणों को छोड़कर, निम्नलिखित अधिनियमों एवं उनसे संबंधित नियमों के अंतर्गत निरीक्षण से छूट दी जाएगी:
    I. कारखाना अधिनियम
    II. प्रसूति प्रसुविधा अधिनियम
    III. उत्तर प्रदेश दुकान एवं वाणिज्यिक अधिष्ठान अधिनियम
    IV. ठेका श्रम (विनियमन एवं उत्सादन) अधिनियम
    V. श्रम संदाय अधिनियम
    VI. न्यूनतम मजदूरी अधिनियम

File No. 77-6099/83/2024-औद्योगिक विकास अनुभाग-6-Infrastructure and ID Department (Computer No. 1859042)
Generated from eOffice by ...

VII. नियोजनालय (रिक्तियों की अनिवार्य अधिसूचना) अधिनियम, 1959

पात्र इकाइयों को प्रत्येक 5 वर्ष में एक बार निरीक्षण की अनुमति दी जाएगी। इसके अतिरिक्त, पात्र इकाइयां स्व-प्रमाणन प्रस्तुत करने हेतु पात्र होंगी (आवधिक संशोधनों के अधीन)।

3. किसी भी पात्र जीसीसी इकाई को 24x7 (तीन शिफ्टों में) संचालन की अनुमति होगी तथा सभी तीन शिफ्टों में महिलाओं को रोज़गार देने की अनुमति प्रदान की जाएगी। यदि आवश्यक हो तो राज्य सरकार कुछ पात्र जीसीसी इकाइयों को "आवश्यक सेवाओं" अथवा "सार्वजनिक उपयोगिताओं" के रूप में अधिसूचित कर सकती है।

4. फ्लोर एरिया रेश्यो (FAR): पात्र जीसीसी इकाइयों पर 3 एवं 1 का एफएआर (प्रचलित भवन उप-नियमों के अनुसार) अनुमन्य होगा।

5. नीति के अंतर्गत, उत्तर प्रदेश में वर्क फ्रॉम होम करने वाले कर्मचारियों वाली इकाइयां अथवा राज्य में अन्य परिसर रोजगार सृजन सब्सिडी, कर्मचारी भविष्य निधि प्रतिपूर्ति (EPF reimbursement) एवं अन्य रोजगार संबंधित लाभों हेतु पात्र होंगी।

5.0 आवेदन का प्रक्रमण, अनुमोदन एवं प्रोत्साहन वितरण प्रक्रिया

यह खंड उत्तर प्रदेश वैश्विक क्षमता केंद्र (जीसीसी) नीति-2024 के क्रियान्वयन की प्रक्रिया को रेखांकित करता है तथा इसके क्रियान्वयन हेतु इन्वेस्ट यूपी नोडल एजेंसी होगी। नोडल एजेंसी, नीति के अंतर्गत प्राप्त आवेदनों के प्रक्रमण एवं संस्तुति हेतु उत्तरदायी होगी।

5.1 आवेदन प्रस्तुत करना:

नीति के प्राविधानों के अंतर्गत, इकाइयां निर्धारित प्रारूप में ऑनलाइन आवेदन आधिकारिक इन्वेस्ट यूपी पोर्टल (https://niveshmitra.up.nic.in) के माध्यम से अथवा ईमेल द्वारा प्रस्तुत करेंगी। आवेदन में सभी प्रविष्टियां स्पष्ट एवं सुपाठ्य होनी चाहिए। कोई भी फील्ड रिक्त नहीं छोड़ा जाना चाहिए। आवेदकों को आवेदन करते समय निम्नलिखित बिंदुओं का ध्यान रखना चाहिए:

1. पोर्टल के सभी आवश्यक फ़ील्ड में सटीक डाटा दर्ज किया जाना चाहिए।
2. सभी अनिवार्य संलग्नक/प्रपत्र अपलोड करना आवश्यक है।
3. नीति में उल्लिखित पात्रता मानदंडों का पालन किया जाना चाहिए।
4. अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता द्वारा हस्ताक्षरित घोषणा एवं डिजिटल सत्यापन प्रदान किया जाना चाहिए।
5. आवेदन पूर्ण होना चाहिए तथा सभी आवश्यक/अनिवार्य दस्तावेज संलग्न होने चाहिए।
6. जहां अनुमन्य हो, स्व-प्रमाणन एवं नियामक मानकों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाना चाहिए।

File No. 77-6099/83/2024-औद्योगिक विकास अनुभाग-6-Infrastructure and ID Department (Computer No. 1859042)
Generated from eOffice ...

5.2 अनिवार्य दस्तावेज़

आवेदक को पोर्टल पर आवेदन के साथ निम्नलिखित दस्तावेज़ अपलोड करने होंगे:

1. विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (DPR), जिसमें समयसीमा एवं CAPEX (पूंजीगत व्यय) का विवरण सम्मिलित हो।
2. निवेश इंटेंट लेटर एवं बोर्ड प्रस्ताव।
3. भूमि स्वामित्व का प्रमाण अथवा पंजीकृत पट्टा समझौता।
4. पैन, जीएसटी, सीआईएन एवं ईपीएफ पंजीकरण प्रमाण पत्र।
5. विगत 3 वर्षों के लेखापरीक्षित वित्तीय विवरण (बैलेंस शीट/लाभ एवं हानि) (यदि अनुमन्य हो)।
6. अन्य दस्तावेज जो नोडल एजेंसी द्वारा अपेक्षित हो सकते हैं, यथा- मुख्य कार्यपालक अधिकारी, इन्वेस्ट यूपी द्वारा निर्धारित किया जाएगा **(अनुलग्नक: प्रारूप-1 से 5)**।

5.3 नोडल एजेंसी स्तर पर आवेदनों का प्रक्रमण

1. आवेदनों की प्रारंभिक समीक्षा इन्वेस्ट यूपी स्तर पर गठित तकनीकी अध्ययन समूह द्वारा की जाएगी। इस समीक्षा के उपरांत, एक पावती प्रमाणपत्र (Acknowledgement Certificate) निर्गत करने की संस्तुति की जाएगी। संस्तुति के आधार पर, मुख्य कार्यपालक अधिकारी, इन्वेस्ट यूपी द्वारा पावती प्रमाणपत्र निर्गत किया जाएगा।
2. पावती प्रमाणपत्र निर्गतोपरांत, नोडल एजेंसी स्तर पर गठित नीति क्रियान्वयन इकाई (पीआईयू) नीति के प्राविधानों, प्रासंगिक आदेशों एवं स्थापित नियमों/प्रक्रियाओं के आलोक में पात्रता का गहन, विवेकपूर्ण एवं बहुआयामी मूल्यांकन करेगी। पीआईयू के संतुष्ट होने पर, आवेदन को नोडल एजेंसी स्तर पर गठित मूल्यांकन समिति को स्पष्ट संस्तुति (यथा- शासनादेश संख्या 21/2023/1307/77-6-23-2(M)/2022 दिनांक 14.04.2023 के प्रस्तर 5.2.1 में वर्णित है) के साथ अग्रेषित किया जाएगा।
3. मूल्यांकन समिति आवेदन की समीक्षा करेगी एवं स्पष्ट संस्तुति के साथ मूल्यांकन को प्राधिकृत समिति/उच्च स्तरीय प्राधिकृत समिति को अग्रेषित करेगी (यदि अनुमन्य हो)।

5.4 शासकीय स्तर पर अनुमोदन प्रक्रिया:

1. स्तर-1, उन्नत-स्तर एवं केस-टू-केस इकाइयों के आवेदनों हेतु, नोडल एजेंसी स्तर पर गठित मूल्यांकन समिति की संस्तुतियां संबंधित समिति को पृथक रूप से प्रस्तुत की जाएंगी।
2. मूल्यांकन समिति की संस्तुतियां को एजेंडा के रूप में प्रस्तुत किया जाएगा, जिसमें इकाइयों की सभी आवश्यक जानकारी सम्मिलित होगी।
3. स्तर-1 इकाई के आवेदनों हेतु, इन्वेस्ट यूपी द्वारा उपलब्ध कराया गया एजेंडा, प्राधिकृत समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। प्राधिकृत समिति की रचना शासनादेश संख्या 21/2023/1307/77-6-23-2(M)/2022 दिनांक 14.04.2023 के

File No. 77-6099/83/2024-औद्योगिक विकास अनुभाग-6-Infrastructure and ID Department (Computer No. 1859042)
Generated from eOffice by [illegible] on 14/11/2025 03:42 PM

प्रस्तर 5.3.1 के अनुसार होगा।

4. प्राधिकृत समिति आवेदनों की समीक्षा करेगी एवं संस्तुतियां प्रस्तुत करेगी।
5. प्राधिकृत समिति की संस्तुति के आधार पर, माननीय मंत्री जी द्वारा अंतिम अनुमोदन दिया जाएगा।
6. उन्नत श्रेणी की इकाइयों एवं केस-टू-केस प्रकरणों के आवेदनों हेतु, इन्वेस्ट यूपी द्वारा प्रस्तुत एजेंडा उच्च स्तरीय प्राधिकृत समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। उच्च स्तरीय प्राधिकृत समिति की रचना शासनादेश संख्या 21/2023/1307/77-6-23-2(M)/2022 दिनांक 14.04.2023 के प्रस्तर 5.3.2 के अनुसार होगा।
7. उच्च स्तरीय प्राधिकृत समिति आवेदनों की समीक्षा करेगी एवं संस्तुतियां प्रस्तुत करेगी। इनकी संस्तुतियों के आधार पर, अंतिम अनुमोदन माननीय मंत्रिपरिषद् द्वारा दिया जाएगा।
8. लेटर ऑफ़ कंफर्ट एवं प्रोत्साहन वितरण के आवेदन दोनों उपरोक्त वर्णित प्रक्रिया का पालन करेंगे। प्रोत्साहन का संवितरण वार्षिक आधार पर किया जाएगा।
9. इकाइयों के अनुरोध एवं नोडल एजेंसी की संस्तुति पर, समितियों को चरणों की संख्या एवं अवधि में संशोधन, कट-ऑफ तिथियों को परिवर्तित करने, उसी क्षेत्र में पूंजी निवेश में परिवर्तन करने तथा वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने जैसे पहलुओं में संशोधन करने का अधिकार होगा। समितियों की संस्तुतियां माननीय मंत्री जी की समीक्षा के उपरांत निर्गत की जाएंगी।

6.0 अनुश्रवण एवं अनुपालन

6.1 अनुमोदित इकाइयों को निम्नलिखित दस्तावेज/विवरण प्रस्तुत करने होंगे:

(क) वार्षिक लेखापरीक्षित वित्तीय विवरण।

(ख) त्रैमासिक रोजगार रिपोर्ट।

(ग) पूंजी निवेश (CI), बौद्धिक संपदा अधिकार (IPR) फाइलिंग एवं अनुसंधान एवं विकास (R&D) माइलस्टोन से संबंधित प्रगति रिपोर्ट।

6.2 तृतीय-पक्ष सत्यापन

i. इन्वेस्ट यूपी की नामांकित एजेंसियों द्वारा आवधिक ऑडिट किए जाएंगे।

ii. पूंजीगत व्यय (CAPEX) तथा रोजगार से संबंधित दावों का आवश्यकतानुसार भौतिक सत्यापन किया जा सकता है।

6.3 दंड एवं वसूली

1. यदि इकाई पात्र निवेश अवधि के भीतर संचालन प्रारंभ करने में विफल रहती है, तो वितरित किए गए प्रोत्साहनों की संपूर्ण राशि 12% वार्षिक ब्याज के साथ वसूल की जाएगी।
2. दंड की वसूली, राजस्व वसूली प्रक्रियाओं के अनुसार जिला प्रशासन द्वारा की जाएगी।

7.0 विविध

File No: 77-6099/83/2024-औद्योगिक विकास अनुभाग-6-Infrastructure and ID Department (Computer No. 1858042)
Generated from eOffice by [illegible]

7.1 नियमों में व्याख्यात्मक अस्पष्टता अथवा असंगति की स्थिति में, उत्तर प्रदेश वैश्विक क्षमता केंद्र नीति- 2024 को अंतिम दस्तावेज़ माना जाएगा।

7.2 नीति में कोई भी संशोधन माननीय मंत्रिमंडल द्वारा अधिकृत किया जाएगा।

7.3 इस नीति के अंतर्गत प्रोत्साहन प्राप्त करने वाली परियोजनाएँ/इकाइयां राज्य सरकार की किसी अन्य नीति/योजना के अंतर्गत प्रोत्साहन प्राप्त करने की पात्र नहीं होंगी।

7.4 इस नीति में निर्दिष्ट सभी प्रोत्साहन लाभ भारत सरकार की किसी भी योजना/नीति के अंतर्गत उपलब्ध प्रोत्साहनों के अतिरिक्त प्राप्त किए जा सकते हैं।

7.5 उद्योग विभाग नीति के साथ संलग्न दस्तावेजों के प्रारूपों में कोई भी संशोधन अथवा परिवर्तन करने हेतु सक्षम होगा। आवश्यकतानुसार अतिरिक्त दस्तावेजों की मांग भी कर सकता है।

7.6 किसी भी विधिक विवाद की स्थिति में न्यायिक क्षेत्राधिकार केवल लखनऊ स्थित न्यायालयों को होगा।

7.7 इस नीति के अंतर्गत स्वीकृत राशि के वितरण हेतु बजट मदों का आवंटन वित्त विभाग द्वारा किया जाएगा। निधियों का वितरण वित्त विभाग के प्रचलित वित्तीय नियमों के अनुसार शासित होगा।

7.8 नीति में किसी भी प्रकार की अस्पष्टता अथवा व्याख्यात्मक संदेह की व्याख्या मुख्य सचिव की अध्यक्षता वाली उच्च स्तरीय प्राधिकृत समिति द्वारा किया जाएगा।

4- उपर्युक्तानुसार "उत्तर प्रदेश वैश्विक क्षमता केंद्र नीति- 2024 के क्रियान्वयन संबंधी नियमावली-2025" का ड्राफ्ट संलग्न है। संलग्न ड्राफ्ट के साथ अनुलग्नक प्ररूप-1 से 5 तक सम्मिलित है। उपर्युक्तानुसार संलग्न ड्राफ्ट पर मा0 मंत्रि-परिषद का अनुमोदन प्राप्त किये जाने का प्रस्ताव है।

5- उपर्युक्तानुसार प्रस्तुत "उत्तर प्रदेश वैश्विक क्षमता केंद्र नीति- 2024 के क्रियान्वयन संबंधी नियमावली" पर परामर्शी विभागों का अभिमत निम्नवत है-

1. न्याय विभाग
2. वित्त विभाग
3. संस्थागत वित्त विभाग
4. राज्य कर विभाग
5. स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन विभाग
6. नियोजन विभाग
7. राजस्व विभाग
8. कार्मिक विभाग

File No. 77-6099/83/2024-औद्योगिक विकास अनुभाग-6-Infrastructure and ID Department (Computer No. 1859042)

9. आई0टी0 एवं इलेक्ट्रानिक्स विभाग
10. व्यवसायिक शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग
11. विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग
12. ऊर्जा विभाग
13. श्रम विभाग
14. पर्यावरण विभाग
15. आवास एवं शहरी नियोजन विभाग

6- परामर्शी विभागों द्वारा दिये गये अभिमत एवं उस पर विभागीय मत के अधीन प्रस्तर4- पर मा0 मंत्रि-परिषद का अनुमोदन निवेदित है।

7- उक्त मा0 मंत्रि-परिषद टिप्पणी को मा0 मंत्री जी द्वारा अवलोकित कर लिया गया है।

संलग्नक : यथोक्त।

Digitally signed by
ALOK KUMAR
Date: 14-11-2025
12:54:32

(आलोक कुमार)
अपर मुख्य सचिव,
अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास विभाग।

पत्रावली संख्य–01(GCC) /2024
औद्योगिक विकास अनुभाग-6
लखनऊ : दिनांक 14-11-2025

File No. 77-6099/83/2024-औद्योगिक विकास अनुभाग-6-Infrastructure and ID Department (Computer No. 1859042)
Generated from eOffice by [illegible] on 14/11/2025 02:42 PM

उत्तर प्रदेश वैश्विक क्षमता केंद्र (जीसीसी) नीति-2024 के क्रियान्वयन हेतु नियमावली-2025

1.0 **शीर्षक**

1.1 इन नियमों को **'उत्तर प्रदेश वैश्विक क्षमता केंद्र (जीसीसी) नीति, 2024 के क्रियान्वयन हेतु नियम'** कहा जाएगा।

1.2 ये नियम उत्तर प्रदेश वैश्विक क्षमता केंद्र (GCC) नीति, 2024 के प्रख्यापन तिथि से प्रभावी होंगे तथा राज्य सरकार द्वारा इसमें संशोधन अथवा समाप्ति तक प्रभावी रहेंगे।

2.0 परिभाषाएं

2.1 **वैश्विक क्षमता केंद्र (GCC):** किसी भारतीय/विदेशी कंपनी द्वारा स्थापित एक कैप्टिव इकाई, जिसका उद्देश्य सूचना प्रौद्योगिकी, अनुसंधान एवं विकास, वित्त, मानव संसाधन, डिज़ाइन, इंजीनियरिंग, एनालिटिक्स तथा नॉलेज सर्विस जैसे रणनीतिक कार्यों का निष्पादन करना है। इन कार्यों की संस्तुति तकनीकी अध्ययन समूह (TSG) द्वारा की जाएगी।

2.2 **तकनीकी अध्ययन समूह (Technical Study Group - TSG)**: तकनीकी अध्ययन समूह के अध्यक्ष अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी, इन्वेस्ट यूपी होंगे तथा इसके सदस्य सूचना प्रौद्योगिकी एवं इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग, नैसकॉम (NASSCOM), सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स ऑफ इंडिया (STPI), वित्त नियंत्रक (इन्वेस्ट यूपी), महाप्रबंधक (निवेश प्रोत्साहन) एवं महाप्रबंधक (समन्वय) सदस्य-सचिव के रूप में सम्मिलित होंगें।

तकनीकी अध्ययन समूह (TSG) के कार्य एवं दायित्व

(क) **समूह के माध्यम से प्राप्त इकाई के आवेदन** का प्रारंभिक परीक्षण किया जाएगा, जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि वह नीतिगत रूपरेखा के अनुरूप है। उक्त परीक्षण की पूर्णता के उपरांत, टीएसजी की संस्तुति के आधार पर, मुख्य कार्यपालक अधिकारी, इन्वेस्ट यूपी द्वारा आवेदक को 30 दिवस की अवधि के भीतर स्वीकृति (पावती) प्रमाण-पत्र (Acknowledgement Certificate) निर्गत किया जाएगा।

(ख) इन्वेस्ट यूपी (नोडल एजेंसी) के अंतर्गत स्थापित नीति क्रियान्वयन इकाई (Policy Implementation Unit - PIU) द्वारा, तकनीकी अध्ययन समूह (TSG) की संस्तुति के आधार पर, नीति के कार्यक्षेत्र में रहते हुए आवेदन का बहुआयामी एवं विस्तृत मूल्यांकन किया जाएगा, जिसमें इकाई की पात्रता का सत्यापन भी सम्मिलित होगा।

(ग) नीति क्रियान्वयन इकाई (PIU) की संरचना, शासनादेश संख्या 21/2023/1307/77-6-23-2(M)/2022 दिनांक 14.04.2023 के प्रस्तर 5.1.1 में विहित प्राविधानों के अनुसार होगी।

2.3 **पात्र जीसीसी इकाई:** ऐसी इकाई जो नीति के प्रस्तर 4.1.7 के अंतर्गत निर्धारित न्यूनतम निवेश/रोजगार पात्रता मानदंडों को पूर्ण करती हो, उसे पात्र वैश्विक क्षमता केंद्र (GCC) इकाई माना जाएगा। इसमें तृतीय-पक्ष बीपीओ (BPOs), केपीओ (KPOs) अथवा आउटसोर्सिंग कंपनियाँ, जो एक से अधिक ग्राहकों को सेवाएँ प्रदान करती हैं।

2.4 **प्रभावी तिथि**: 'प्रभावी तिथि' से अभिप्राय उस तिथि से है जिस दिन से यह नीति लागू होती है, अर्थात् 07.05.2025, जो उत्तर प्रदेश वैश्विक क्षमता केंद्र (GCC) नीति, 2024 के अधिसूचना की तिथि है।

2.5 **पात्र पूंजी निवेश (Eligible Capital Investment - ECI)**: पात्र पूंजी निवेश से अभिप्राय है वह पूंजी निवेश जो पात्र इकाई द्वारा नीति की प्रभावी तिथि के उपरांत उसके पात्र निवेश अवधि में किया गया हो।

यदि किसी इकाई ने नीति की प्रभावी तिथि से पूर्व पूंजी निवेश प्रारंभ कर दिया है, तो ऐसे पूंजी निवेश का न्यूनतम 80% निवेश नीति की प्रभावी तिथि के उपरांत होना आवश्यक होगा, तभी उसे पात्र पूंजी निवेश माना जाएगा। यद्यपि परियोजना श्रेणी निर्धारण हेतु ऐसे पूंजी निवेश का 100% निवेश माना जाएगा।

2.6 **वाणिज्यिक संचालन तिथि (COD):** वाणिज्यिक संचालन तिथि से तात्पर्य उस तिथि से है जिस दिन से इकाई अपना वाणिज्यिक संचालन अथवा सेवा प्रदायन प्रारंभ करती है। वाणिज्यिक संचालन तिथि के संबंध में, इकाई के अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता द्वारा ₹100 मूल्य के स्टाम्प पेपर पर शपथ पत्र मुख्य कार्यपालक अधिकारी, इन्वेस्ट यूपी के समक्ष प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य होगा।

2.7 **कर्मचारी:** “कर्मचारी” से अभिप्राय उन व्यक्तियों से है जो संबंधित इकाई के पेरोल पर नियोजित हों। इस परिभाषा में कंपनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के सभी सदस्य तथा परिभाषित सभी प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक (Key Managerial Personnel - KMP) सम्मिलित नहीं होंगे।

2.8 **विस्तार**: "विस्तार" से तात्पर्य उस स्थिति से है जब उत्तर प्रदेश में पूर्व से संचालित इकाई अपने वर्तमान कुल परिसंपत्ति मूल्य (ग्रोस ब्लॉक) में न्यूनतम 25% की वृद्धि नवीन पूंजी निवेश के माध्यम से करती है, जो कि विद्यमान/सन्निहित परिसर में हो।

अथवा

यदि कोई इकाई अपने पेरोल पर नियोजित मैनपावर (जन-शक्ति)/कर्मचारियों की संख्या में न्यूनतम 25% की वृद्धि अथवा 100 कर्मचारियों की वृद्धि (जो भी अधिक हो) रिकॉर्ड करती है, तो ऐसी इकाई को भी "विस्तार" हेतु पात्र माना जाएगा।

2.9 **पूंजी निवेश**: "पूंजी निवेश" से तात्पर्य पात्र इकाई द्वारा वहन किए जाने वाली लागत से है जिन्हें इस नीति के अंतर्गत प्रोत्साहन प्राप्ति के सम्बन्ध में इकाई के श्रेणी निर्धारण हेतु स्वीकार्य माना जाएगा। इसमें भूमि, भवन तथा निर्माण, संयंत्र एवं मशीनरी (जिसमें कंप्यूटर, अनुसंधान एवं विकास उपकरण, नेटवर्किंग हार्डवेयर, सॉफ़्टवेयर तथा संचालन से प्रत्यक्ष रूप से संबंधित स्थायी परिसंपत्तियां सम्मिलित हैं) एवं उत्तर प्रदेश औद्योगिक निवेश एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति-2022 के प्रस्तर 12.1.6 में परिभाषित अवस्थापना उपयोगिताओं पर किया गया व्यय सम्मिलित होगा।

इसके अतिरिक्त**,** इकाइयों द्वारा विद्यमान फिक्स्चर के नवीनीकरण (रेट्रोफिटिंग) पर किए गए व्यय का **50%** भी सम्मिलित किया जाएगा**,** यदि उस मूल्य का इकाइयों द्वारा पूँजीकरण किया जाता है। यदि पात्र इकाई प्रस्तावित परियोजना हेतु फ्रंट एंड लैंड सब्सिडी प्राप्त कर रही है**,** तो भूमि लागत को पूंजी निवेश में सम्मिलित नहीं किया जाएगा। इसके अतिरिक्त**,** यदि परियोजना किराए के परिसर अथवा को-वर्किंग स्पेस से संचालित की जा रही हो**,** तो भूमि एवं भवन लागत को भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

3.0 वित्तीय प्रोत्साहन

3.1 फ्रंट-एंड लैंड सब्सिडी (Front End Land Subsidy): पात्र स्तर-1 एवं उन्नत जीसीसी इकाइयों को राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरणों, विकास प्राधिकरणों, शहरी स्थानीय निकायों अथवा किसी अन्य सरकारी एजेंसी द्वारा प्रदत्त भूमि पर फ्रंट-एंड लैंड सब्सिडी प्रदान की जाएगी।

(i) गौतमबुद्ध नगर एवं गाजियाबाद जनपदों में 30%।

(ii)पश्चिमांचल (गौतम बुद्ध नगर एवं गाजियाबाद को छोड़कर) तथा मध्यांचल क्षेत्र में 40%।

(iii) पूर्वांचल एवं बुंदेलखंड क्षेत्र में 50% की दर से भूमि सब्सिडी प्रदान की जाएगी।

राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण अथवा किसी अन्य सरकारी संस्था द्वारा पात्र इकाई को रियायत के रूप में प्रदान की गई भूमि, पात्र निवेश अवधि तक अथवा वाणिज्यिक संचालन प्रारंभ होने तक (जो भी पहले हो), संबंधित शासकीय निकाय के पक्ष में मोर्टगेज्ड (mortgaged) रहेगी। निर्धारित समयावधि में

परियोजना पूर्ण न होने की स्थिति में, संबंधित शासकीय निकाय द्वारा प्रदान की गई भूमि सब्सिडी की राशि वार्षिक 12% ब्याज दर से वसूल की जा सकती है।

यदि परियोजना किराये के परिसर/को-वर्किंग स्पेस में संचालित की जा रही है तो इस प्रकार की भूमि सब्सिडी उन परियोजनाओं पर अनुमन्य नहीं होगी। सब्सिडी राशि की प्रतिपूर्ति का व्यय औद्योगिक विकास विभाग द्वारा वहन किया जाएगा।

3.2 स्टाम्प ड्यूटी छूट/प्रतिपूर्ति

किसी भी पात्र जीसीसी इकाई को प्रस्तावित परियोजना हेतु भूमि/कार्यालय परिसर/भवन के क्रय अथवा पट्टे (लीज) पर 100% स्टाम्प ड्यूटी छूट/प्रतिपूर्ति प्रदान की जाएगी। यह छूट इकाई द्वारा छूट की प्राप्त राशि के समतुल्य बैंक गारंटी पर प्रस्तुत की जाएगी। यह छूट, प्राप्त छूट की समतुल्य राशि की बैंक गारंटी प्रस्तुत करने पर प्रदान की जाएगी, जो पात्र निवेश अवधि में वाणिज्यिक संचालन प्रारंभ होने पर इकाई को रिफंड कर दी जाएगी। दूसरी ओर, प्रतिपूर्ति वाणिज्यिक संचालन प्रारंभ होने के उपरांत प्रदान की जाएगी।

3.3 पूंजीगत सब्सिडी

(i) स्तर-1 श्रेणी की इकाइयों को उनकी सत्यापित पात्र पूंजी निवेश (ECI) के 25% पूंजीगत सब्सिडी की पात्र होगी जो अधिकतम ₹10 करोड़ प्रतिवर्ष तक होगी।

(ii) उन्नत श्रेणी की इकाइयाँ अपनी सत्यापित पात्र पूँजी निवेश (ECI) के 25% पूंजीगत सब्सिडी की हकदार होंगी, जो अधिकतम ₹25 करोड़ प्रति वर्ष तक होगी।

(iii) सब्सिडी राशि का भुगतान वाणिज्यिक संचालन तिथि (COD) के उपरांत 7 समान वार्षिक किश्तों में प्रदान की जाएगी, बशर्ते कि पात्र जीसीसी इकाई निरंतर संचालित रहे एवं निर्धारित रोजगार स्तर को बनाए रखे।

(iv) भूमि सब्सिडी, स्टाम्प ड्यूटी, रेंटल शुल्क एवं पट्टा शुल्क पूंजी; निवेश में सम्मिलित नहीं होंगे।

3.4 ब्याज सब्सिडी: किसी भी पात्र जीसीसी इकाई द्वारा अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों/वित्तीय संस्थानों से निर्माण, संयंत्र एवं मशीनरी के क्रय तथा परियोजना स्थल पर अन्य अवस्थापना सुविधाओं की स्थापना हेतु प्राप्त टर्म लोन पर 5% की दर से अथवा वास्तविक रूप से भुगतान की गई ब्याज राशि- जो भी न्यूनतम हो- के समान ब्याज सब्सिडी प्रदान की जाएगी। यह सब्सिडी वाणिज्यिक संचालन प्रारंभ होने की तिथि से अधिकतम पाँच वर्षों की अवधि तक, अधिकतम ₹1 करोड़/इकाई/वर्ष तक प्रदान की जाएगी।

3.5 संचालन व्यय (ओपेक्स) सब्सिडी: वाणिज्यिक संचालन प्रारंभ होने की तिथि से स्तर-1 इकाइयों को 5 वर्षों की अवधि हेतु, संचालन व्यय पर 20% की दर से अधिकतम ₹40 करोड़ प्रति वर्ष की सीमा तक सब्सिडी प्रदान की जाएगी तथा यह सब्सिडी उन्नत इकाइयों को अधिकतम ₹80 करोड़ प्रति वर्ष की सीमा तक प्रदान की जाएगी। संचालन व्यय मदों में पट्टा (लीज) किराया, बैंडविड्थ व्यय, डाटा सेंटर/क्लाउड सेवा लागत तथा विद्युत शुल्क सम्मिलित होंगे।

(i) यहां लीज रेंटल में सभी लीज्ड स्थल (प्लग-एंड-प्ले सुविधाओं/को-वर्किंग सुविधाओं सहित) को सम्मिलित होंगे, जिनका अधिकतम मासिक किराया ₹50 प्रतिवर्ग फुट कार्पेट एरिया होगा। यहां पट्टा किराये में केवल परिसर हेतु भुगतान किया गया वास्तविक किराया ही सम्मिलित होगा। अनुरक्षण शुल्क, सहायक शुल्क (Ancillary Fees) अथवा विकासकर्ता अथवा स्वामी द्वारा लगाए गए किसी भी अतिरिक्त शुल्क को पट्टा किराये में सम्मिलित नहीं माना जाएगा। इसके अतिरिक्त, पट्टा किराया व्यय की प्रतिपूर्ति वार्षिक आधार पर की जाएगी।

(ii) विद्युत शुल्क का अर्थ विद्युत उपयोगिता बिलों पर हुए व्यय से है। राज्य सरकार पात्र इकाइयों को औद्योगिक दरों पर विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करने का प्रयास करेगी। इस संबंध में ऊर्जा विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा एक पृथक अधिसूचना निर्गत की जाएगी। विद्युत शुल्क में किसी भी प्रकार के डीजल जनरेटर (DG) कनेक्शन से संबंधित व्यय अथवा दावा स्पष्ट रूप से

सम्मिलित नहीं किया जाएगा। इसके अतिरिक्त, साझा, पट्टे पर लिए गए अथवा विकासकर्ता-नियंत्रित परिसरों में संचालन करने वाले आवेदकों के सम्बन्ध में परियोजना हेतु समर्पित सब-मीटर की स्थापना सुनिश्चित करना अनिवार्य होगा। आवेदकों को अपने सब्सिडी दावे के साथ विकासकर्ता अथवा परिसर के स्वामी द्वारा विधिवत प्रमाणित परियोजना-विशिष्ट माहवार विद्युत खपत विवरण प्रस्तुत करना होगा।

(iii) इसी प्रकार, बैंडविड्थ व्यय केवल लाइसेंस प्राप्त इंटरनेट सेवा प्रदाताओं को किए गए भुगतान पर ही स्वीकार्य होगा।

(iv) डाटा सेंटर एवं/अथवा क्लाउड सेवाएं उत्तर प्रदेश में स्थित उन सेवा प्रदाताओं से प्राप्त की जाएंगी, जिनके पास उत्तर प्रदेश माल सेंटर एवं/अथवा सेवा कर अधिनियम के अंतर्गत वैध जीएसटीआईएन (GSTIN) हो, जिससे सेवाओं हेतु का चालान निर्गत किया गया हो।

3.6 पेरोल सब्सिडी: नीति के प्राविधानों के अनुसार, न्यूनतम एक वर्ष तक ऑन-रोल कर्मचारियों (अनुसंधान एवं विकास में संलग्न कार्मिकों सहित) को दिए गए वेतन एवं लाभों की लागत की प्रतिपूर्ति स्तर-1 एवं उन्नत जीसीसी (GCC) इकाइयों को निम्नानुसार देय होगी:

(i) गौतम बुद्ध नगर एवं गाजियाबाद जनपदों में स्थित इकाइयों में नियोजित कार्मिकों (नीति के अनुसार) के प्रकरण में, इकाई आगामी तीन वर्षों में निम्नलिखित सब्सिडी राशि हेतु पात्र होगी:

संचालन का वर्ष	अनुमन्य पेरोल सब्सिडी %	अधिकतम सीमा
प्रथम	35 %	कार्मिक वेतन का 35%, कुल वार्षिक वेतन का अधिकतम ₹5 लाख, जो भी कम हो।
द्वितीय	30 %	कार्मिक वेतन का 30%, कुल वार्षिक वेतन का अधिकतम ₹4 लाख, जो भी कम हो।
तृतीय	25%	कार्मिक वेतन का 25%, कुल वार्षिक वेतन का ₹3 लाख, जो भी कम हो।

यह सब्सिडी तीन वर्ष की अवधि तक स्तर-1 इकाइयों में अधिकतम ₹10 करोड़ प्रति वर्ष एवं उन्नत इकाइयों में अधिकतम ₹20 करोड़ तक अनुमन्य होगी। सब्सिडी की गणना के सम्बन्ध में, इकाई द्वारा एक वित्तीय वर्ष में कार्मिकों हेतु निरंतर रोजगार के आधार पर विचार किया जाएगा। 12 माह से कम अवधि हेतु कार्यरत् कर्मचारियों के वेतन सम्बन्धी व्यय इसमें सम्मिलित नहीं होंगे।

ii. गौतम बुद्ध नगर एवं गाजियाबाद जनपदों को छोड़कर अन्य जनपदों में स्थित इकाइयों में नियोजित कार्मिकों (नीति के अनुसार) के प्रकरण में, इकाई आगामी 4 वर्षों की अवधि में निम्नलिखित सब्सिडी राशि हेतु पात्र होगी:

संचालन का वर्ष	अनुमन्य पेरोल सब्सिडी %	अधिकतम सीमा
प्रथम	50%	कार्मिक वेतन का 50%, कुल वार्षिक वेतन का अधिकतम ₹7 लाख, जो भी कम हो।
द्वितीय	40%	कार्मिक वेतन का 40%, कुल वार्षिक वेतन का अधिकतम ₹6 लाख, जो भी कम हो।
तृतीय	30%	कार्मिक वेतन का 30%, कुल वार्षिक वेतन का अधिकतम ₹5 लाख, जो भी कम हो।

चतुर्थ	25 %	कार्मिक वेतन का 25%, कुल वार्षिक वेतन का अधिकतम ₹4 लाख, जो भी कम हो।

स्तर-1 इकाइयों को 4 वर्षों की अवधि हेतु अधिकतम ₹12 करोड़ प्रति वर्ष तक तथा उन्नत इकाइयों को अधिकतम ₹25 करोड़ प्रति वर्ष तक सब्सिडी प्रदान की जाएगी। सब्सिडी के प्रयोजन के सम्बन्ध में, इकाई द्वारा एक वित्तीय वर्ष में कार्मिकों हेतु बनाए गए निरंतर रोजगार के आधार पर विचार किया जाएगा। 12 माह से कम अवधि हेतु नियोजित कर्मचारियों के वेतन सम्बन्धी व्यय को इसमें सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

नोटः- पेरोल सब्सिडी हेतु, केवल जीसीसी इकाई में कार्यरत् वे कर्मचारी पात्र होंगें, जिनका नेट वेतन ₹1 लाख से अधिक है। (केवल मूल वेतन + महंगाई भत्ता, जो कि उद्योग के सर्वोत्तम पद्धतियों के अनुसार कंपनी द्वारा कर्मचारी के खाते में हस्तांतरित सकल वेतन का भाग है। इसमें मकान किराया भत्ता, वाहन भत्ता, चिकित्सा प्रतिपूर्ति इत्यादि अन्य मार्जिनल लाभ सम्मिलित नहीं हैं।)

3.7 भर्ती सब्सिडी: उत्तर प्रदेश में स्थित किसी भी पात्र जीसीसी इकाई को, उत्तर प्रदेश अधिवासी प्रत्येक नए कर्मचारी की नियुक्ति पर ₹20,000 की दर से सब्सिडी प्रदान की जाएगी, बशर्ते कि उक्त कर्मचारियों को न्यूनतम एक वर्ष की निरंतर सेवा हेतु नियोजित किया गया हो तथा न्यूनतम 30 कर्मचारी/वर्ष नए कर्मचारी उत्तर प्रदेश के अधिवासी हों। यह सब्सिडी किसी विशिष्ट इकाई हेतु अधिकतम ₹5 करोड़ तक सीमित होगी। ऐसे नए कर्मचारियों (फ्रेशर) की भर्ती हेतु पात्रता केवल उन व्यक्तियों पर अनुमन्य होगी, जिनका प्रथम रोजगार अवसर है, जो उत्तर प्रदेश अधिवासी हों तथा जिन्होंने उत्तर प्रदेश में स्थित मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान से स्नातक/स्नातकोत्तर की डिग्री प्राप्त की हो। इस प्रोत्साहन श्रेणी के अंतर्गत लाभों को वाणिज्यिक संचालन प्रारंभ होने से 5 वर्ष की अवधि तक बढ़ाया जा सकता है।

3.8 ईपीएफ प्रतिपूर्तिः किसी भी पात्र इकाई को, नीति के अंतर्गत परिभाषित कार्मिकों के सम्बन्ध में नियोक्ता द्वारा कर्मचारी भविष्य निधि (EPF) में किए गए योगदान की 100% प्रतिपूर्ति प्रदान की जाएगी। यह प्रतिपूर्ति वाणिज्यिक संचालन प्रारंभ होने की तिथि से 3 वर्षों की अवधि तक ₹2,000/कर्मचारी/माह की दर से देय होगी तथा यह प्रतिपूर्ति अधिकतम ₹1 करोड़ प्रतिवर्ष की सीमा तक अनुमन्य होगी।

3.9 पात्र जीसीसी इकाइयों हेतु प्रतिभा विकास एवं कौशल प्रोत्साहन:

(क) पात्र इकाई द्वारा **इंटर्नशिप अवसरों** के सृजन हेतु किए गए व्यय का 50% **प्रतिपूर्ति** के रूप में प्रदान किया जाएगा, जिसकी अधिकतम सीमा ₹5,000/छात्र/माह होगी। यह सुविधा वाणिज्यिक संचालन प्रारंभ होने की तिथि से तीन वर्षों की अवधि तक उपलब्ध रहेगी तथा अधिकतम 50 इंटर्न/वर्ष तक सीमित होगी। इंटर्नशिप संबंधित पात्र इकाई के कार्यस्थल पर प्रदान की जानी अनिवार्य होगी तथा प्रत्येक इंटर्नशिप की न्यूनतम अवधि 2 माह होगी। इंटर्नशिप उत्तर प्रदेश में स्थित शैक्षणिक संस्थानों के विद्यार्थियों एवं उत्तर प्रदेश के जनजातीय विद्यार्थियों को ही प्रदान की जानी चाहिए।

(ख) **कौशल विकास सब्सिडी:** पात्र इकाई द्वारा आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रमों की लागत का 50% अथवा प्रत्येक कर्मचारी हेतु ₹50,000 की कोर्स फीस प्रतिपूर्ति (जो भी राशि न्यूनतम हो) की जाएगी। यह सब्सिडी 3 वर्षों तक, प्रति वर्ष अधिकतम 500 कर्मचारियों तक अनुमन्य होगी, जिसकी अधिकतम सीमा ₹50 लाख प्रति वर्ष होगी।

3.10 अनुसंधान एवं विकास तथा नवाचार हेतु प्रोत्साहन:

(क)इकाइयों को **उत्कृष्टता केंद्रों (CoE)** की स्थापना हेतु प्रोत्साहित किया जाएगा। ऐसे उत्कृष्टता केंद्रों की स्थापना हेतु प्रोत्साहन उत्तर प्रदेश औद्योगिक निवेश एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति, 2022 के प्रस्तर 12.6

के अंतर्गत प्रदान किया जाएगा। ये उत्कृष्टता केंद्र शैक्षणिक संस्थानों, उद्योग संघों अथवा अन्य सार्वजनिक संस्थानों के सहयोग से स्थापित किए जा सकते हैं।

(ख) स्टार्टअप आइडिएशन: पात्र इकाइयों को स्टार्टअप आइडिएशन, प्रूफ-ऑफ-कॉन्सेप्ट संचालन अथवा समस्या-समाधान गतिविधियों के आयोजन हेतु किए गए व्यय की 50% राशि की प्रतिपूर्ति को प्रदान की जाएगी, बशर्ते कि यह गतिविधियां वाणिज्यिक संचालन प्रारंभ होने की तिथि से 5 वर्षों की अवधि के भीतर संचालित की गयी हो। यह प्रतिपूर्ति अधिकतम ₹50 लाख प्रति वर्ष तक सीमित होगी।

(ग) बौद्धिक संपदा अधिकार (आईपीआर) सब्सिडी: पात्र इकाइयों को पेटेंट फाइलिंग हेतु वहन किए गए विधिक व्यय की 100% प्रतिपूर्ति प्रदान की जाएगी। प्रतिपूर्ति की अधिकतम सीमा घरेलू पेटेंट हेतु अधिकतम ₹5 लाख तथा अंतर्राष्ट्रीय पेटेंट हेतु अधिकतम ₹10 लाख तक सीमित होगी। इस प्रोत्साहन का दावा, प्रभावी नीति अवधि में अधिकतम दो बार तथा किसी भी पात्र जीसीसी इकाई द्वारा प्राप्त पेटेंट हेतु प्रति वर्ष अधिकतम एक बार किया जा सकता है।

3.11 केस-टू-केस प्रोत्साहन: नीति में परिभाषित स्तर-1 एवं उन्नत जीसीसी इकाइयां, निम्नलिखित अर्हता मानदंडों के अधीन, राज्य सरकार द्वारा आवश्यकतानुसार विचाराधीन आधार पर अनुकूलित प्रोत्साहन पैकेज प्राप्त करने हेतु पात्र होंगी।

(क) न्यूनतम 1,500 कर्मचारियों को रोजगार।

(ख) ₹250 करोड़ से अधिक का निवेश (भूमि लागत को छोड़कर), जिसमें पट्टे (लीज़) पर आधारित परियोजनाएं भी सम्मिलित हैं।

(ग) न्यूनतम ₹50 करोड़ की प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) आवश्यक होगा। एफडीआई के घटक निम्नलिखित होंगे: पूंजी निवेश (स्व-निर्मित भूमि एवं भवन के प्रकरण में) अथवा वार्षिक संचालन व्यय का वित्तपोषण (पट्टे (लीज़) पर आधारित संचालन के प्रकरण में)।

(घ) ऐसी कंपनी जो ग्लोबल फॉर्च्यून 500 (होल्डिंग/पेरेंट कंपनी) अथवा फॉर्च्यून इंडिया 500 (होल्डिंग/पेरेंट कंपनी) में सूचीबद्ध हो तथा जिसमें न्यूनतम 1,000 कर्मचारी हों।

4.0 गैर-वित्तीय सहायता

4.1 तकनीकी सहायता समूह:

उत्तर प्रदेश सरकार के सूचना प्रौद्योगिकी एवं इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग के अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव की अध्यक्षता में एक तकनीकी समर्थन समूह का गठन किया जाएगा। इस समूह में उद्योग, कॉर्पोरेट प्रकरण, जीसीसी उद्योग तथा नैसकॉम (NASSCOM), एसटीपीआई (STPI) जैसी संस्थाओं से सुदृढ़ सम्बन्ध रखने वाले उद्योग विशेषज्ञ सम्मिलित होंगे। इसके अतिरिक्त, इसमें वैश्विक नेता, जीसीसी के उच्च प्रदर्शनकर्ता CXOs, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार विशेषज्ञ एवं व्यावसायिक रणनीति तथा नवाचार के अग्रणी भी सम्मिलित होंगे। इन व्यक्तियों का नामांकन सूचना प्रौद्योगिकी एवं इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग द्वारा प्रत्येक वर्ष पृथक शासनादेश के माध्यम से किया जाएगा। यह समूह त्रैमासिक बैठकों के माध्यम से राज्य के उद्योगों की प्रगति एवं समस्याओं की समीक्षा करेगा। यह समूह जीसीसी के संचालन हेतु मार्गदर्शन एवं सहयोग प्रदान करेगा।

4.2 लिंकेज समर्थन:

1. **वाणिज्यिक स्थल**: राज्य सरकार रियल एस्टेट भागीदारों के साथ संभाग स्तर पर एक लाइव डिजिटल पोर्टल विकसित करेगी, जिससे जीसीसी इकाइयों को राज्य में उपलब्ध वाणिज्यिक स्थानों की ख़ोज हेतु एक वन-स्टॉप प्लेटफ़ॉर्म होगा। इससे आदर्श स्थानों की खोज सरल हो जाएगी। प्रथम चरण में, यह पोर्टल मुख्यतः नोएडा, गाजियाबाद, लखनऊ, कानपुर एवं मेरठ जैसे नगरों पर केंद्रित होगा।

2. **तकनीकी सहभागिता:** राज्य सरकार जीसीसी इकाइयों को स्थानीय शैक्षणिक संस्थानों, उत्कृष्टता केंद्रों, स्टार्टअप्स एवं इनक्यूबेटर्स से जुड़ने में भी सहायता प्रदान करेगी। इससे कुशल व्यक्तियों की भर्ती को प्रोत्साहन, उद्योग-विशिष्ट कौशल कार्यक्रम विकसित करने, सहयोगात्मक अनुसंधान को प्रोत्साहित करने तथा खुले नवाचार को प्रोत्साहन प्राप्त होगा। इस लक्ष्य की प्राप्ति हेतु तकनीकी सहायता समूह उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग के साथ समन्वय करेगा।

4.3 विनियामक समर्थन:

1. राज्य में किसी भी पात्र जीसीसी इकाई; 25 केवीए से अधिक क्षमता वाले विद्युत जनरेटर को छोड़कर, उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम से मुक्त होगी।
2. पात्र जीसीसी इकाइयों को शिकायतों से उत्पन्न विशिष्ट निरीक्षणों को छोड़कर, निम्नलिखित अधिनियमों एवं उनसे संबंधित नियमों के अंतर्गत निरीक्षण से छूट दी जाएगी:
   - I. कारखाना अधिनियम
   - II. प्रसूति प्रसुविधा अधिनियम
   - III. उत्तर प्रदेश दुकान एवं वाणिज्यिक अधिष्ठान अधिनियम
   - IV. ठेका श्रम (विनियमन एवं उत्सादन) अधिनियम
   - V. श्रम संदाय अधिनियम
   - VI. न्यूनतम मजदूरी अधिनियम
   - VII. नियोजनालय (रिक्तियों की अनिवार्य अधिसूचना) अधिनियम, 1959

   पात्र इकाइयों को प्रत्येक 5 वर्ष में एक बार निरीक्षण की अनुमति दी जाएगी। इसके अतिरिक्त, पात्र इकाइयां स्व-प्रमाणन प्रस्तुत करने हेतु पात्र होंगी (आवधिक संशोधनों के अधीन)।

3. किसी भी पात्र जीसीसी इकाई को 24x7 (तीन शिफ्टों में) संचालन की अनुमति होगी तथा सभी तीन शिफ्टों में महिलाओं को रोजगार देने की अनुमति प्रदान की जाएगी। यदि आवश्यक हो तो राज्य सरकार कुछ पात्र जीसीसी इकाइयों को “आवश्यक सेवाओं” अथवा “सार्वजनिक उपयोगिताओं” के रूप में अधिसूचित कर सकती है।

4. फ्लोर एरिया रेश्यो (FAR): पात्र जीसीसी इकाइयों पर 3 एवं 1 का एफएआर (प्रचलित भवन उप-नियमों के अनुसार) अनुमन्य होगा।

5. नीति के अंतर्गत, उत्तर प्रदेश में वर्क फ्रॉम होम करने वाले कर्मचारियों वाली इकाइयां अथवा राज्य में अन्य परिसर रोजगार सृजन सब्सिडी, कर्मचारी भविष्य निधि प्रतिपूर्ति (EPF reimbursement) एवं अन्य रोजगार संबंधित लाभों हेतु पात्र होंगी।

5.0 आवेदन का प्रक्रमण, अनुमोदन एवं प्रोत्साहन वितरण प्रक्रिया

यह खंड उत्तर प्रदेश वैश्विक क्षमता केंद्र (जीसीसी) नीति-2024 के क्रियान्वयन की प्रक्रिया को रेखांकित करता है तथा इसके क्रियान्वयन हेतु इन्वेस्ट यूपी नोडल एजेंसी होगी। नोडल एजेंसी, नीति के अंतर्गत प्राप्त आवेदनों के प्रक्रमण एवं संस्तुति हेतु उत्तरदायी होगी।

5.1 आवेदन प्रस्तुत करना:

नीति के प्राविधानों के अंतर्गत, इकाइयां निर्धारित प्रारूप में ऑनलाइन आवेदन आधिकारिक इन्वेस्ट यूपी पोर्टल (https://niveshmitra.up.nic.in) के माध्यम से अथवा ईमेल द्वारा प्रस्तुत करेंगी। आवेदन में सभी

प्रविष्टियां स्पष्ट एवं सुपाठ्य होनी चाहिए। कोई भी फील्ड रिक्त नहीं छोड़ा जाना चाहिए। आवेदकों को आवेदन करते समय निम्नलिखित बिंदुओं का ध्यान रखना चाहिए:

1. पोर्टल के सभी आवश्यक फ़ील्ड में सटीक डाटा दर्ज किया जाना चाहिए।
2. सभी अनिवार्य संलग्नक/प्रपत्र अपलोड करना आवश्यक है।
3. नीति में उल्लिखित पात्रता मानदंडों का पालन किया जाना चाहिए।
4. अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता द्वारा हस्ताक्षरित घोषणा एवं डिजिटल सत्यापन प्रदान किया जाना चाहिए।
5. आवेदन पूर्ण होना चाहिए तथा सभी आवश्यक/अनिवार्य दस्तावेज संलग्न होने चाहिए।
6. जहां अनुमन्य हो, स्व-प्रमाणन एवं नियामक मानकों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाना चाहिए।

5.2 अनिवार्य दस्तावेज़

आवेदक को पोर्टल पर आवेदन के साथ निम्नलिखित दस्तावेज़ अपलोड करने होंगे:

1. विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (DPR), जिसमें समयसीमा एवं CAPEX (पूंजीगत व्यय) का विवरण सम्मिलित हो।
2. निवेश इंटेंट लेटर एवं बोर्ड प्रस्ताव।
3. भूमि स्वामित्व का प्रमाण अथवा पंजीकृत पट्टा समझौता।
4. पैन, जीएसटी, सीआईएन एवं ईपीएफ पंजीकरण प्रमाण पत्र।
5. विगत 3 वर्षों के लेखापरीक्षित वित्तीय विवरण (बैलेंस शीट/लाभ एवं हानि) (यदि अनुमन्य हो)।
6. अन्य दस्तावेज जो नोडल एजेंसी द्वारा अपेक्षित हो सकते हैं, यथा- मुख्य कार्यपालक अधिकारी, इन्वेस्ट यूपी द्वारा निर्धारित किया जाएगा **(अनुलग्नक: प्रारूप-1 से 5)**।

5.3 नोडल एजेंसी स्तर पर आवेदनों का प्रक्रमण

1. आवेदनों की प्रारंभिक समीक्षा इन्वेस्ट यूपी स्तर पर गठित तकनीकी अध्ययन समूह द्वारा की जाएगी। इस समीक्षा के उपरांत, एक पावती प्रमाणपत्र (Acknowledgement Certificate) निर्गत करने की संस्तुति की जाएगी। संस्तुति के आधार पर, मुख्य कार्यपालक अधिकारी, इन्वेस्ट यूपी द्वारा पावती प्रमाणपत्र निर्गत किया जाएगा।
2. पावती प्रमाणपत्र निर्गतोपरांत, नोडल एजेंसी स्तर पर गठित नीति क्रियान्वयन इकाई (पीआईयू) नीति के प्राविधानों, प्रासंगिक आदेशों एवं स्थापित नियमों/प्रक्रियाओं के आलोक में पात्रता का गहन, विवेकपूर्ण एवं बहुआयामी मूल्यांकन करेगी। पीआईयू के संतुष्ट होने पर, आवेदन को नोडल एजेंसी स्तर पर गठित मूल्यांकन समिति को स्पष्ट संस्तुति (यथा- शासनादेश संख्या 21/2023/1307/77-6-23-2(M)/2022 दिनांक 14.04.2023 के प्रस्तर 5.2.1 में वर्णित है) के साथ अग्रेषित किया जाएगा।
3. मूल्यांकन समिति आवेदन की समीक्षा करेगी एवं स्पष्ट संस्तुति के साथ मूल्यांकन को प्राधिकृत समिति/उच्च स्तरीय प्राधिकृत समिति को अग्रेषित करेगी (यदि अनुमन्य हो)।

5.4 शासकीय स्तर पर अनुमोदन प्रक्रिया:

1. स्तर-1, उन्नत-स्तर एवं केस-टू-केस इकाइयों के आवेदनों हेतु, नोडल एजेंसी स्तर पर गठित मूल्यांकन समिति की संस्तुतियां संबंधित समिति को पृथक रूप से प्रस्तुत की जाएंगी।
2. मूल्यांकन समिति की संस्तुतियां को एजेंडा के रूप में प्रस्तुत किया जाएगा, जिसमें इकाइयों की सभी आवश्यक जानकारी सम्मिलित होगी।

3. स्तर-1 इकाई के आवेदनों हेतु, इन्वेस्ट यूपी द्वारा उपलब्ध कराया गया एजेंडा, प्राधिकृत समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। प्राधिकृत समिति की रचना शासनादेश संख्या 21/2023/1307/77-6-23-2(M)/2022 दिनांक 14.04.2023 के प्रस्तर 5.3.1 के अनुसार होगा।
4. प्राधिकृत समिति आवेदनों की समीक्षा करेगी एवं संस्तुतियां प्रस्तुत करेगी।
5. प्राधिकृत समिति की संस्तुति के आधार पर, माननीय मंत्री जी द्वारा अंतिम अनुमोदन दिया जाएगा।
6. उन्नत श्रेणी की इकाइयों एवं केस-टू-केस प्रकरणों के आवेदनों हेतु, इन्वेस्ट यूपी द्वारा प्रस्तुत एजेंडा उच्च स्तरीय प्राधिकृत समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। उच्च स्तरीय प्राधिकृत समिति की रचना शासनादेश संख्या 21/2023/1307/77-6-23-2(M)/2022 दिनांक 14.04.2023 के प्रस्तर 5.3.2 के अनुसार होगा।
7. उच्च स्तरीय प्राधिकृत समिति आवेदनों की समीक्षा करेगी एवं संस्तुतियां प्रस्तुत करेगी। इनकी संस्तुतियों के आधार पर, अंतिम अनुमोदन माननीय मंत्रिपरिषद् द्वारा दिया जाएगा।
8. लेटर ऑफ़ कंफर्ट एवं प्रोत्साहन वितरण के आवेदन दोनों उपरोक्त वर्णित प्रक्रिया का पालन करेंगे। प्रोत्साहन का संवितरण वार्षिक आधार पर किया जाएगा।
9. इकाइयों के अनुरोध एवं नोडल एजेंसी की संस्तुति पर, समितियों को चरणों की संख्या एवं अवधि में संशोधन, कट-ऑफ तिथियों को परिवर्तित करने, उसी क्षेत्र में पूंजी निवेश में परिवर्तन करने तथा वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने जैसे पहलुओं में संशोधन करने का अधिकार होगा। समितियों की संस्तुतियां माननीय मंत्री जी की समीक्षा के उपरांत निर्गत की जाएंगी।

6.0 अनुश्रवण एवं अनुपालन

6.1 अनुमोदित इकाइयों को निम्नलिखित दस्तावेज/विवरण प्रस्तुत करने होंगे:

(क) वार्षिक लेखापरीक्षित वित्तीय विवरण।

(ख) त्रैमासिक रोजगार रिपोर्ट।

(ग) पूंजी निवेश (CI), बौद्धिक संपदा अधिकार (IPR) फाइलिंग एवं अनुसंधान एवं विकास (R&D) माइलस्टोन से संबंधित प्रगति रिपोर्ट।

6.2 तृतीय-पक्ष सत्यापन

i. इन्वेस्ट यूपी की नामांकित एजेंसियों द्वारा आवधिक ऑडिट किए जाएंगे।
ii. पूंजीगत व्यय (CAPEX) तथा रोजगार से संबंधित दावों का आवश्यकतानुसार भौतिक सत्यापन किया जा सकता है।

6.3 दंड एवं वसूली

1. यदि इकाई पात्र निवेश अवधि के भीतर संचालन प्रारंभ करने में विफल रहती है, तो वितरित किए गए प्रोत्साहनों की संपूर्ण राशि 12% वार्षिक ब्याज के साथ वसूल की जाएगी।
2. दंड की वसूली, राजस्व वसूली प्रक्रियाओं के अनुसार जिला प्रशासन द्वारा की जाएगी।

7.0 विविध

7.1 नियमों में व्याख्यात्मक अस्पष्टता अथवा असंगति की स्थिति में, उत्तर प्रदेश वैश्विक क्षमता केंद्र नीति- 2024 को अंतिम दस्तावेज़ माना जाएगा।

7.2 नीति में कोई भी संशोधन माननीय मंत्रिमंडल द्वारा अधिकृत किया जाएगा।

7.3 इस नीति के अंतर्गत प्रोत्साहन प्राप्त करने वाली परियोजनाएँ/इकाइयां राज्य सरकार की किसी अन्य नीति/योजना के अंतर्गत प्रोत्साहन प्राप्त करने की पात्र नहीं होंगी।

7.4 इस नीति में निर्दिष्ट सभी प्रोत्साहन लाभ भारत सरकार की किसी भी योजना/नीति के अंतर्गत उपलब्ध प्रोत्साहनों के अतिरिक्त प्राप्त किए जा सकते हैं।

7.5 उद्योग विभाग नीति के साथ संलग्न दस्तावेजों के प्रारूपों में कोई भी संशोधन अथवा परिवर्तन करने हेतु सक्षम होगा। आवश्यकतानुसार अतिरिक्त दस्तावेजों की मांग भी कर सकता है।

7.6 किसी भी विधिक विवाद की स्थिति में न्यायिक क्षेत्राधिकार केवल लखनऊ स्थित न्यायालयों को होगा।

7.7 इस नीति के अंतर्गत स्वीकृत राशि के वितरण हेतु बजट मदों का आवंटन वित्त विभाग द्वारा किया जाएगा। निधियों का वितरण वित्त विभाग के प्रचलित वित्तीय नियमों के अनुसार शासित होगा।

7.8 नीति में किसी भी प्रकार की अस्पष्टता अथवा व्याख्यात्मक संदेह की व्याख्या मुख्य सचिव की अध्यक्षता वाली उच्च स्तरीय प्राधिकृत समिति द्वारा किया जाएगा।

अनुलग्नक

प्रारूप 1: विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (संकेतात्मक)

1. **कार्यकारी सारांश** (तृतीय पक्ष द्वारा प्रमाणित चार्टर्ड अकाउंटेंट अथवा ऑडिटर द्वारा)
2. **परियोजना**

2.1 जीसीसी परियोजना के प्रोजेक्ट, क्षेत्र, स्थान एवं प्रकार पर संक्षिप्त विवरण

2.2 संगठन संरचना जो मूल कंपनी के साथ सम्बन्ध एवं स्वामित्व को प्रदर्शित करती है

2.3 कंपनी- (विगत 3 वर्षों में समूह कंपनियों एवं वित्तीय प्रदर्शन का विवरण के साथ)

2.4 प्रमोटरों की पृष्ठभूमि: जीसीसी क्षेत्र में ट्रैक रिकॉर्ड एवं पूर्व अनुभव।

2.5 **सेवा एवं संचालन साक्ष्य**

क) पैरेंट कंपनी अथवा वैश्विक सहायक कंपनियों को प्रदान की जाने वाली सेवाओं का विस्तृत विवरण

ख) संगठनात्मक चार्ट जो मूल कंपनी के सापेक्ष इकाई की स्थिति को दर्शाता है।

ग) एक **स्वप्रमाणन (Self Declaration)** जिसमें यह स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया हो कि इकाई की भूमिका एक **इन-हाउस सेंटर (in-house centre)** के रूप में है, न कि किसी **तृतीय पक्ष सेवा प्रदाता (third party service provider)** के रूप में

घ) एक **स्वप्रमाणित अपवर्जन पुष्टि पत्र (Self Declared Exclusion Confirmation Statement)** जिसमें यह स्पष्ट किया गया हो कि इकाई **अपवर्जित गतिविधियों (excluded activities)** में संलग्न नहीं है

2.6 **परियोजना की लागत का विस्तृत विवरण** (आपूर्तिकर्ता का स्रोत, लागत एवं मात्रा विवरण आदि सम्मिलित करें)

2.6.1 भूमि लागत (यदि अनुमन्य हो)

- भूमि का स्वामित्व (लीज़होल्ड/फ्रीहोल्ड/प्राधिकरण आवंटन)
- भूमि की वर्तमान स्थिति (आवंटित/आवेदन किया गया)
- भूमि का स्थान (कनेक्टिविटी, एनसीआर के निकट, आईडीए, एयरपोर्ट्स, आईटी पार्क)

2.6.2 स्टाम्प ड्यूटी एवं पंजीकरण शुल्क का भुगतान

2.6.3 भवन लागत (यदि अनुमन्य हो - स्व-स्वामित्व वाला कार्यालय, आईटी पार्क, एसईजेड सुविधाएं, सेक्शन वाइज लेआउट, माप, निर्माण का प्रकार आदि)

2.6.4 अन्य निर्माण लागत (यदि अनुमन्य हो)

2.6.5 संयंत्र एवं मशीनरी (आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर, सर्वर्स, नेटवर्किंग, अनुसंधान विकास उपकरण आदि)

2.6.6 अवस्थापना सुविधाओं के विकास की लागत (डेटा कनेक्टिविटी, पावर बैकअप)

2.6.7 कोई अन्य

1.1 परियोजना की वर्तमान स्थिति: भूमि अधिग्रहण/निर्माण की स्थिति - यदि अनुमन्य हो; किराये पर लिया गया स्थान अथवा प्रगति पर, किराये के स्थान का आकार एवं विवरण (बैठने की क्षमता, सांकेतिक लेआउट योजना, आदि के साथ)

2. वित्तपोषण के साधन

2.1 इक्विटी: - प्रमोटरों का योगदान एवं स्रोत/आंतरिक उपार्जन/बाहरी स्रोतों/एफडीआई आदि से निधि व्यवस्था का विवरण।

2.2 ऋण योगदान स्रोत एवं ऋण की लागत; ऋण भुगतान अनुसूची (बैंक ऋण होने की स्थिति में; ब्याज सब्सिडी)।

2.3 फेमा पंजीकरण दस्तावेज (यदि विदेशी शाखा कार्यालयों हेतु अनुमन्य हो)।

2.4 बैंक स्टेटमेंट्स अथवा पूंजी निवेश का प्रमाण जो निवेश की समयसीमा दर्शाते हों।

2.5 चयनित ट्रांसफर प्राइसिंग विधियों का विवरण (जैसे, कॉस्ट-प्लस, प्रॉफिट-स्प्लिट, नियंत्रित मूल्य निर्धारण अथवा नियंत्रित लाभ, अथवा कोई अन्य विधि)।

3. अवस्थापना की आवश्यकताएं एवं स्रोत

3.1 बिजली की आवश्यकता और अपेक्षित खपत।

3.2 आईटी से संबंधित अवस्थापना (इंटरनेट, क्लाउड, डेटा सेंटर)।

3.3 अन्य (ऑप्टिकल फाइबर कनेक्टिविटी, सड़क, आदि)।

4. मानव संसाधन आवश्यकताएँ - विवरण (यदि संबंधित श्रेणी के अंतर्गत सब्सिडी प्राप्त की जा रही हो)।

4.1 प्रत्यक्ष जनशक्ति रोजगार आवश्यकता (कुशल, अर्ध-कुशल, आईटी प्रोफेशनल)

4.2 पेरोल स्टेटमेंट (प्रत्येक कर्मचारी के अनुसार, जिसमें वेतन, सेवा अवधि, श्रेणी एवं निवास स्थान का विवरण सम्मिलित हो)।

4.3 नए भर्ती कर्मचारियों की सूची (जिसमें नाम, निवास स्थान, शैक्षिक संस्थान, कार्यभार ग्रहण करने की तिथि, एवं प्रथम रोजगार होने की पुष्टि सम्मिलित हो)।

4.4 ईपीएफ चालान/ईसीआर फाइलिंग (मासिक, समेकित)

4.5 इंटर्नशिप पूर्णता प्रमाणपत्र सूची (बैच-वार, मानव संसाधन/प्रशिक्षण प्रमुख द्वारा हस्ताक्षरित)

4.6 प्रशिक्षण समापन रिपोर्ट (बैचवार, कर्मचारी का नाम एवं अवधि सहित)

4.7 अप्रत्यक्ष रोजगार (सहायक सेवाएं, निर्माण, लॉजिस्टिक्स)

5. वित्तीय विश्लेषण

5.1 लागत अनुमान

5.2 कार्यशील पूंजी की आवश्यकता

5.3 वितीय एवं गैर-वित्तीय सहित अपेक्षित प्रोत्साहन विवरण (संबंधित विभागों से अपेक्षित अनुमोदन या सिंगल विंडो स्वीकृति प्रमाणपत्र आवश्यक)

5.4 राजस्व अनुमान

5.5 फंड फ्लो स्टेटमेंट

5.6 वित्तीय अनुपात

5.7 पुनर्भुगतान अनुसूची के साथ टर्म लोन का विवरण

5.8 आंतरिक प्रतिफल दर

5.9 परियोजना क्रियान्वयन की प्रमुख तिथियां (प्रथम निवेश से अंतिम निवेश तक)

प्रारूप - 2

परियोजना में कंपनी द्वारा किए गए प्रस्तावित/वास्तविक स्थायी पूंजी निवेश हेतु सीए/सांविधिक लेखा परीक्षक प्रमाणपत्र (उनके लेटर हेड पर सीए की सदस्यता संख्या के साथ) का प्रारूप, परियोजना की लागत का विवरण- निवेश विवरण

<u>मेसर्स (कंपनी का नाम),</u>

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	मद	परियोजना में प्रस्तावित निवेश (डीपीआर के अनुसार)	निवेश की प्रारंभिक तिथि एवं आवेदन की तिथि तक प्रथम निवेश से कुल निवेश की गई राशि का उल्लेख	आवेदन की तिथि तक किए गए निवेश का विवरण		शेष निवेश (जो अभी किया जाना है)।
				प्रथम निवेश की तिथि से 07.05.2025 तक निवेश की गई राशि का उल्लेख	दिनांक 07.05.2025 से आवेदन की तिथि तक निवेश की गई राशि का उल्लेख	
1	2	3 (5+6+7)	4	5	6	7
1.	भूमि लागत (वास्तविक मूल्य/आवंटन मूल्य) स्टाम्प एवं पंजीकरण शुल्क सम्मिलित।					
2.	भवन लागत एवं अन्य निर्माण लागत					
3.	संयंत्र एवं मशीनरी					

4.	अवस्थापना एवं सुविधाओं के विकास की लागत (पावर बैकअप, एचवीएसी, डेटा सेंटर, सुरक्षा, संचार प्रणाली)		दिन/माह/वर्ष			
5.	इन-हाउस अनुसंधान एवं विकास सहित कोई अन्य लागत (यदि अनुमन्य हो)		< कुल मूल्य >			
कुल (1 से 5)						

यह प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त जानकारी की हमारे द्वारा जाँच ली गई है तथा मेसर्स (कंपनी का नाम) द्वारा उत्तर प्रदेश वैश्विक क्षमता केंद्र नीति 2024 के अंतर्गत प्रोत्साहनों की स्वीकृति प्राप्त करने के समर्थन में वैधानिक लेखा परीक्षक/चार्टर्ड एकाउंटेंट के अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता द्वारा विधिवत प्रमाणित की गई है एवं सत्य पाई गई है। **हम एतद्द्वारा यह भी प्रमाणित करते हैं कि प्रस्तावित परियोजना में निवेश की प्रथम तिथि से पूर्व कोई निवेश नहीं किया गया है।**

(चार्टर्ड एकाउंटेंट के हस्ताक्षर, पता, मुहर एवं सदस्यता संख्या) अथवा (स्टैच्यूटरी ऑडिटर के अधिकृत प्रतिनिधि के हस्ताक्षर)

प्रारूप - 3

प्रस्तावित परियोजना में कंपनी द्वारा किए गए निवेश के स्रोतों हेतु सीए/सांविधिक लेखा परीक्षक प्रमाणपत्र (उनके लेटर हेड पर सीए की सदस्यता संख्या के साथ) का प्रारूप परियोजना निवेश का विवरण

<u>**मेसर्स** (कंपनी का नाम),</u>

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	मद	परियोजना में प्रस्तावित निवेश (डीपीआर के अनुसार)	प्रथम निवेश की तिथि एवं प्रथम निवेश की तिथि से आवेदन की तिथि तक कुल निवेश की गई राशि का उल्लेख	आवेदन की तिथि तक किए गए निवेश का विवरण		शेष निवेश (जो अभी किया जाना है)।
				प्रथम निवेश की तिथि से 07.05.2025 तक निवेश की गई राशि का उल्लेखकरें	दिनांक 07.05.2025 से आवेदन की तिथि तक निवेश की गई राशि का उल्लेख करें	
1	2	3 (5+6+7)	4	5	6	7
क) इक्विटी						
1.	इक्विटी शेयर पूंजी					
2.	आंतरिक नकद उपार्जन					
3.	ब्याज मुक्त असुरक्षित ऋण					
4.	सुरक्षा जमा					
5.	डीलरों से अग्रिम राशि					
6.	अन्य, यदि कोई हो		दिन/माह/वर्ष			
ख) ऋण			< कुल मूल्य >			
1.	वित्तीय संस्थान से					
2.	बैंक से					

3.	अन्य, यदि कोई हो तो					
कुल (क+ख)						

यह प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त जानकारी की हमारे द्वारा जाँच ली गई है तथा मेसर्स (कंपनी का नाम) द्वारा उत्तर प्रदेश वैश्विक क्षमता केंद्र नीति 2024 के अंतर्गत प्रोत्साहनों की स्वीकृति प्राप्त करने के समर्थन में वैधानिक लेखा परीक्षक/चार्टर्ड एकाउंटेंट के अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता द्वारा विधिवत प्रमाणित की गई है एवं सत्य पाई गई है। **हम एतद्द्वारा यह भी प्रमाणित करते हैं कि प्रस्तावित परियोजना में निवेश की प्रथम तिथि से पूर्व कोई निवेश नहीं किया गया है।**

(चार्टर्ड एकाउंटेंट के हस्ताक्षर, पता, मुहर एवं सदस्यता संख्या) अथवा

(स्टैच्यूटरी ऑडिटर के अधिकृत प्रतिनिधि के हस्ताक्षर)

प्रारूप 4: घोषणा-पत्र (₹100 के स्टाम्प पेपर पर)

घोषणा

यह प्रमाणित किया जाता है कि उत्तर प्रदेश वैश्विक क्षमता केंद्र नीति 2024 के अंतर्गत प्रोत्साहनों की स्वीकृति हेतु निवेश मित्र पोर्टल पर ऑनलाइन प्रपत्र भरते समय प्रदान की गई सभी जानकारी पूर्णतः सत्य है तथा किसी भी तथ्य को छिपाया नहीं गया है और न ही कोई भ्रामक या असत्य विवरण प्रस्तुत किया गया है। यह भी प्रमाणित किया जाता है कि कंपनी ने उत्तर प्रदेश सरकार की किसी अन्य क्षेत्र-विशिष्ट नीति अथवा अन्य किसी नीति के अंतर्गत लाभ प्राप्त करने के लिए आवेदन नहीं किया है।

यह भी प्रमाणित किया जाता है कि भारत सरकार की विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत प्राप्त की गई वित्तीय सहायता (यदि कोई हो), जिसके विवरण आवेदन में प्रदान किए गए हैं, पूर्णतः सत्य हैं। यदि इस योजना को भारत सरकार की किसी नीति/योजना के साथ संयोजित (dovetail) किया जाता है, तो कंपनी यह सुनिश्चित करेगी कि सभी योजनाओं को मिलाकर प्राप्त की जाने वाली प्रोत्साहन राशि संबंधित नीति में निर्धारित अधिकतम सीमा से अधिक न हो। ऐसी स्थिति में, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा दी जाने वाली वित्तीय सहायता को उसी अनुपात में समायोजित/कमी की जाएगी।

यदि किसी भी चरण पर यह पाया जाता है कि कोई जानकारी बढ़ा-चढ़ाकर प्रस्तुत की गई है, छिपाई गई है अथवा भ्रामक रूप से प्रस्तुत की गई है, तो नीति में निर्धारित दंड प्राविधान (Penalty Clause) प्रभाव में लाया जाएगा, तथा अतिरिक्त अथवा अयोग्य घोषित की गई राशि को प्राधिकृत समिति अथवा उच्च स्तरीय प्राधिकृत समिति (HLEC) की संस्तुति पर आवेदक से वसूल किया जाएगा।

मैं/हम एतद्द्वारा सहमति व्यक्त करते हैं कि यदि उत्तर प्रदेश वैश्विक क्षमता केंद्र नीति 2024 के अंतर्गत मुझे/हमें प्रदान की गई प्रोत्साहन राशि किसी भी कारणवश वास्तविक रूप से स्वीकृत राशि से अधिक पाई जाती है, तो मैं/हम वह अतिरिक्त राशि तत्काल प्रभाव से सरकार को वापस करने के लिए बाध्य होंगे।

अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता का हस्ताक्षर,

दिनांक:

नाम, पदनाम एवं कार्यालय की मुहर

स्थान:

प्रारूप - 5

प्रस्तावित परियोजना निवेश विवरण में कंपनी द्वारा किए गए परिचालन व्यय के लिए सीए/सांविधिक लेखा परीक्षक प्रमाणपत्र (उनके लेटर हेड पर सीए की सदस्यता संख्या के साथ) का प्रारूप

मद	राशि (₹ में)	वांछित जानकारी	वितरण के समय पैनल में शामिल चार्टर्ड एकाउंटेंट द्वारा सत्यापित किए जाने वाले सहायक दस्तावेज़
पट्टा (लीज़) किराया		पट्टा (लीज़) अवधि: क्षेत्रफल (वर्ग फुट में): कुल वार्षिक किराया: सहायक अनुलग्नक: मासिक किराए का विवरण	पंजीकृत लीज़ अनुबंध, किराये की रसीदें,भुगतान के संबंध में चार्टर्ड एकाउंटेंट का प्रमाणपत्र
बैंडविड्थ शुल्क		सेवा प्रदाता का नाम (GSTIN के साथ): सेवा उपयोग: वार्षिक बैंडविड्थ शुल्क: सहायक अनुलग्नक: मासिक बैंडविड्थ शुल्क का विवरण	UP GSTIN के साथ सेवा अनुबंध/चालान।
डाटा सेंटर/क्लाउड सेवाएँ		सेवा प्रदाता का नाम (GSTIN के साथ): सेवा उपयोग: वार्षिक शुल्क: सहायक अनुलग्नक: मासिक शुल्क का विवरण	UP GSTIN के साथ सेवा अनुबंध/चालान।
विद्युत शुल्क		उपयोगिता का नाम: बिलिंग अवधि: उपभोग की गई इकाइयाँ: वार्षिक खपत की गई इकाइयाँ एवं शुल्क: सहायक अनुलग्नक: मासिक खपत की गई इकाइयाँ एवं लागू शुल्क	पट्टे पर दिए गए स्थान के प्रकरण में यूपीपीसीएल से विद्युत बिल की प्रमाणित प्रति या डेवलपर से बिल की प्रति।

पेरोल सब्सिडी		प्रत्येक पात्र कर्मचारी के बैंक खाते में अंतरित की गई नेट वार्षिक वेतन राशि (केवल उन कर्मचारियों हेतु जिनका वार्षिक नेट वेतन ₹1 लाख से अधिक है) प्रति कर्मचारी एवं प्रति वर्ष भुगतान किये जाने वाले वेतन का प्रतिशत।	- स्व-प्रमाणित कर्मचारी सूची श्रेणियों के साथ (निवासी/अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/महिला/दिव्यांग) - वेतन पर्ची/स्थानांतरण प्रमाण - 1 वर्ष का मानव संसाधन प्रमाणपत्र (निरंतर रोजगार)। - सब्सिडी के संबंध में पात्र कर्मचारियों हेतु निवास प्रमाणपत्र।
भर्ती सब्सिडी		- तालिका में व्यक्ति का नाम, विवरण एवं अनुमन्य सब्सिडी दी गई है।	- निवास प्रमाण पत्र एवं स्नातक/स्नातकोत्तर विवरण के साथ नए भर्ती हुए उम्मीदवारों की स्व-प्रमाणित सूची। - स्व-प्रमाणित - स्व-प्रमाणित वेतन संवितरण प्रमाणपत्र। - स्व-प्रमाणित सतत रोजगार प्रमाणपत्र (1 वर्ष)।
ईपीएफ प्रतिपूर्ति		- दावे पर स्व-प्रमाणपत्र अनुमन्य है।	- ईपीएफ चालान - कर्मचारी UAN सूची (पात्र श्रेणियां) - प्रतिधारण पर स्व-घोषणा
इंटर्नशिप प्रतिपूर्ति		- प्रशिक्षु का नाम, तिथियां (न्यूनतम 2 माह)	- निवास प्रमाण के साथ प्रशिक्षुओं की स्व-प्रमाणित सूची।
		- बैंक हस्तांतरण या खाता विवरण के अनुसार प्रति माह भुगतान किए गए स्टाइपेंड का स्व-प्रमाणित सारांश।	- स्व-प्रमाणित स्टाइपेंड भुगतान प्रमाण - स्व-प्रमाणित पूर्णता प्रमाण पत्र।
कौशल विकास सब्सिडी		-कौशल विकास सब्सिडी के अंतर्गत दावे का विवरण	- प्रशिक्षण कार्यक्रम का विवरण - प्रशिक्षित कर्मचारियों की सूची - प्रशिक्षण भागीदार को भुगतान का स्व-प्रमाणित प्रमाण
अनुसंधान एवं विकास तथा नवाचार को बढ़ावा देने हेतु प्रोत्साहन			
उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करने के		- परियोजना प्रस्ताव (उद्देश्य, कार्ययोजना)	उत्तर प्रदेश औद्योगिक निवेश एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति-2022 के प्रस्तर 12.6 के

लिए अनुदान सहायता			अनुसार।
स्टार्ट-अप आइडिएशन		- स्व-प्रमाणित लागत विवरण	-आइडिएशन/स्टार्टअप परियोजना का संक्षिप्त विवरण। - परियोजना हेतु बीजक अथवा लागत-पत्रक.
बौद्धिक संपदा अधिकार (आईपीआर) सब्सिडी		- प्रदान किए गए पेटेंट के लिए पेटेंट फाइलिंग हेतु वैधानिक शुल्क का विवरण।	- पेटेंट आवेदन/पुरस्कार प्रमाणपत्र (यदि अनुमन्य हो)